हस्तक्षेप

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर संगठित हिंसा

डॉ. शारदेन्दु मुखर्जी

अनुवादक
ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

भारत नीति प्रतिष्ठान

हस्तक्षेप

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर संगठित हिंसा

लेखक

डॉ. शारदेन्दु मुखर्जी

अनुवादक

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

INDIA POLICY FOUNDATION

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से प्रकाशक की पूर्व अनुमति के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रकाशक
भारत नीति प्रतिष्ठान
डी-51, हौज खास, नई दिल्ली-110016 (भारत)
दूरभाष : 011-26524018
फैक्स : 011-46089365
ई-मेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org

संस्करण : प्रथम, अक्टूबर, 2013
© भारत नीति प्रतिष्ठान
ISBN: 978-81-925223-3-3

मूल्य : 80 रुपये मात्र

मुद्रक :
प्रिंट सेंटर, द्वारका

पुस्तक की सामग्री के लिए लेखक जिम्मेवार

विषय-सूची

प्राक्कथन

बांग्लादेश में विलुप्त हो रहे हिन्दुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की दशा और दुर्दशा : एक ऐतिहासिक परिदृश्य ——— 6

परिशिष्ट-I ——— 35

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकार के संबंध में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच (नेहरू-लियाकत) समझौता

परिशिष्ट-II ——— 41

दलित हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिकार : पाकिस्तान के प्रथम कानून और श्रम मंत्री जे.एन. मंडल का त्यागपत्र

प्राक्कथन

बांग्लादेश की आजादी अनेक कारणों से एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने एक प्रताड़ित और कुंठित राष्ट्रीयता को एक स्वर दिया। सिर्फ एक राष्ट्रीयता का उदय मात्र नहीं होकर एक जहरीले सिद्धांत का निषेध भी था। भारत विभाजन का आधार इस्लाम और मुसलमानों की अस्मिता को बनाया गया था। इसे जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के नाम पर वैधानिकता दी गई। धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता की कल्पना बालू की भीत की तरह बिखड़ गया। बांग्लादेश के उदय के पीछे अलगाववादी मानसिकता नहीं थी। यह लम्बी मुक्ति संघर्ष का परिणाम था। पकिस्तानी सेना का जेहादी जल्लादी जुल्म था। इसमें बच्चों की नृशंस हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार और बेकसूरों की जघन्य हत्या की गई थी। वास्तव में हिन्दुओं पर 1946 में जो 'सीधी कार्रवाई' (Direct Action) हुई थी। उसी का नया संस्करण पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है।

पाकिस्तान के गृहयुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर पड़ा। लाखों शरणार्थी जान बचाने के लिए भारत आए। मानवाधिकार का खुल्लंखुल्ला उल्लंघन ने भारत को हस्तक्षेप के लिए बाध्य कर दिया और जब सभी रास्ते विफल हो गए तब सैन्य हस्तक्षेप हुआ। भारत ने यह कदम अमेरिका को नाराज करने की कीमत पर उठाया। इस जोखिम के पीछे संकीर्ण मानसिकता, निहित स्वार्थ या औपनिवेशिक प्रकृति नहीं थी। बांग्लादेश को मुक्ति मिलते ही वह संप्रभु राष्ट्र अपने स्वतंत्रता के नायकों के नेतृत्व में विश्व समुदाय में शामिल हुआ। यह भारत की स्वर्णिम विरासत की परंपरा है। भगवान राम ने लंका पर विजय सीमा विस्तार या शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि सभ्य शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया था।

भारत ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जोखिम उठाया बल्कि शरणार्थियों एवं युद्ध के आर्थिक भार को वहन किया। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस उपकार को भुला दिया। कट्टरपंथ का विस्तार होता गया और हिन्दुओं की जान-माल, इज्जत आबरू, आस्था पर प्रहार अस्सी के दशक के मध्य में शुरू हुआ। बांग्लादेश राज्य ने इसे रोकने में कोई सार्थक एवं प्रभावी कदम नहीं उठाया। यहां तक कि कभी-कभी राज्य ने भी इस संगठित हिंसा को प्रश्रय देने का काम किया है। हिन्दुओं को बेघर करना, उनकी आस्था को चोट पहुंचाना, महिलाओं की इज्जत लूटना और हत्या करना आम बात बन गई। बचने का एक रास्ता दिया गया है कि वे अपना धर्म परिवर्तित कर लें। हिन्दुओं के लिए यह जल्लादी जिहादी जुल्म नया नहीं है। 1922-23 में केरल के मोपला में ऐसा ही तांडव दिखा था। तब खिलाफत में सहयोग देने के उपकार का बदला था। अभिव्यक्ति भारत में 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई एवं विभाजन तक जघन्य हत्या का दौर चलता रहा। आज उसी उपक्रम का विस्तार बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। दोनों ही देशों में हिन्दुओं की आबादी घटी है। वे न्यूनतम सुरक्षा से वंचित हैं।

बांग्लादेश की घटनाओं पर पहली महत्वपूर्ण पुस्तक एस.के. भट्टाचार्य की 'जिनोसाइड इन इस्ट पाकिस्तान (बांग्लादेश ए हॉरर स्टोरी)' (1988) में प्रकाशित हुई। परंतु पूर्व पुलिस अधिकारी बलजीत राय की पुस्तक 'डेमोग्राफिक एग्रेसन अगेंस्ट इंडिया (1993) ने इस विषय पर गंभीरता एवं अकादमिक तरीके से प्रकाश डाला। बाद में राम नरेश प्रसाद सिंह की पुस्तक 'बांग्लादेश डिकोडेड' (2006) ने वहां के समाज, राजनीति, सेना, खुफिया तंत्रों की वास्तविकता को उजागर करने का काम किया। डॉ. साची जी. दास्तीदार 'द एम्पायरस् लास्ट कैजुएल्टी' (2008) और हाल में रिचर्ड एल बेंकिन 'ए क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लिंसिंग' (2012) ने विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। भारतीय राज्य बांग्लादेश की स्थिति पर हस्तक्षेप करने के अपने राजनीतिक एवं नैतिक दायित्व से क्यों मुख मोड़ रहा है? यह एक बड़ा प्रश्न है। इसी क्रम में भारत नीति प्रतिष्ठान ने हस्तक्षेप (शोध) पत्र लाने का कार्य किया है। इसके लेखक डॉ. शारदेन्दु मुखर्जी हैं।

आशा है यह पुस्तक उनलोगों को इस बहस से जोड़ने का काम करेगी। जो फिलिस्तीन और सीरिया के संकट पर पूर्ण चेतना का प्रदर्शन करते हैं परंतु पड़ोस में मानवाधिकार हनन पर चेतना शून्य हो जाते हैं।

प्रो. राकेश सिन्हा
मानद निदेशक
भारत नीति प्रतिष्ठान

21 अक्टूबर, 2013

बांग्लादेश में विलुप्त हो रहे हिन्दुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की दशा और दुर्दशा : एक ऐतिहासिक परिदृश्य

इस बात को याद रखने की जरूरत है कि दुनिया के लिखित इतिहास में ऐसे समुदाय बहुत कम हैं जैसे बंगाल के अभिशप्त हिन्दू।[1] पर यह समुदाय अपने इतिहास के समय से हमेशा ही ऐसा नहीं रहा। अनादिकाल से यह भूमि उनकी अपनी रही है। फरवरी-मार्च 2013 की अवधि के दौरान कुछ "तों में बांग्लादेश से भागकर आने की ताजा घटनाओं के संदर्भ में यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर उनकी तकलीफें क्या हैं, इस संदर्भ में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि वास्तव में यह अमानवीयता और अत्याचार की कहानी का एक दूसरा अध्याय है जो बहुत समय से जारी है। यहां यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यह सब अचानक और अनदेखी हकीकत नहीं है। बल्कि बांग्लादेश में वहां के बहुसंख्यक तबकों द्वारा अल्पसंख्यक तबकों को दी जाने वाली प्रताड़ना का अनवरत सिलसिला है और यह सिलसिला तब से चला आ रहा है जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तब पाकिस्तानी प्रशासन और उसके सहयोगियों ने मिलकर अमानवीय अत्याचार किए थे। जिसकी परिणति 1971 में बांग्लादेश की आजादी के रूप में सामने आई। अंग्रेजों ने भारत के वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश को मिलाकर बने बंगाल प्रेजिडेंसी में 1757 से 1947 तक राज्य किया था। इस प्रेजिडेंसी का पूर्वी हिस्सा 1947 में देश के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गया और 1971 में एक स्वतंत्र देश बन गया। बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से हजारों मील की दूरी पर स्थित यही भौगोलिक क्षेत्र बांग्लादेश कहलाया।

बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग तो हो गया लेकिन सामाजिक और धार्मिक भेदभाव करने के संदर्भ में इस नए देश की स्थिति भी अपने पैतृक देश पाकिस्तान से किसी भी तरह भिन्न नहीं रही। यहां भी हिन्दुओं, बौद्धों और दूसरे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता रहा जो पाकिस्तान में होता रहा है। बात चाहे असमानता की हो, भेदभाव की हो, नकारने की हो, हक छीनने की हो, आतंकित करने की हो या फिर अपमानित करने की बात हो, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम समुदाय के लोग जबरन इस्लामीकरण का शिकार भी रहे हैं। उन पर अपनी महिलाओं का जबरन मुस्लिम समुदाय में विवाह करने का दबाव भी बनाया जाता है और कभी-कभी पुरूषों को भी इस्लाम धार्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है, और वे यह सब चुप रहकर करने को मजबूर होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग आमतौर पर विस्थापित के रूप में भारत में शरण लेते हैं।[2] भारत और बांग्लादेश में अनेक विद्वानों ने इस विलुप्त हो

रही आबादी के कारणों को जानने के लिए कई अधययन किए हैं।

विभाजन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम संप्रदाय ने जो असहिष्णुता और अलगाववादी नीति अपना रखी है उससे विभाजन से पूर्व की उस नीति का विखंडन होता है जिसमें संयुक्त भारत के अंदर एक ऐसे समाज की कल्पना की गई थी जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के आधुनिक मूल्यों पर खड़ा हो। विभाजन के बाद इस धारणा को झटका लगने के साथ ही यह समझ में आने लगा था कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनके बहुदेववादी होने के चलते नए देशों में किसी तरह की दया नहीं मिलेगी। भारत के राष्ट्रीय नेता इस कड़वी सच्चाई को समझ नहीं पाए या समझने में असफल रहे कि नवसृजित मुस्लिम देशों में अभागे और आपदा से घिरे अल्पसंख्यक वर्ग को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि 1948 में पाकिस्तान में ब्रिटेन के तत्कालीन उच्चायुक्त ने महसूस किया था और इसकी जानकारी व्हाइट हाउस को दी थी। उनके मुताबिक, "मुस्लिम धार्मिक और कट्टरपंथी होते हैं, और धर्म के प्रति उनकी यह कट्टरता कहीं ज्यादा तेज दिखाई देती है क्योंकि धर्म उनका किसी और वस्तु की तुलना में अधिक जल्दी आगे बढ़ाता है और उसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय में दूसरों को प्रभावित करने के लिए कहीं ज्यादा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय पर असर डालने की क्षमता रखते हैं उनके खिलाफ धर्म का इस्तेमाल अधिक तेजी और आसानी से किया जा सकता है। जिन्ना ने भी इस्लामिक देश की कल्पना करते हुए इसी अवधारणा पर अमल किया था जिससे उच्च स्तर पर इस्लाम की बिरादरी के महत्व को आसानी से स्वीकार कर लिया गया।"[3]

संभवत: इसको अमल में लाने से तात्पर्य यही रहा होगा कि अभागे हिन्दुओं, सिख, बौद्ध, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक तबकों का इस स्तर तक दमन किया जाए कि वे बड़ी तादाद में देश छोड़कर भारत चले जाएं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : बंगाल पर इस्लाम का आक्रमण, सांप्रदायिक विभाजन और इसका असर

बांग्लादेश में हिन्दू और दूसरे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की त्रासदी को समझने के लिए हमें उन कुछ प्रमुख मुद्दों पर विचार करना होगा जो इतिहास में बंगाल पर इस्लाम की जीत के ऐतिहासिक पलों की याद दिलाते हैं। इसकी शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी के अंत और तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्की के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के बंगाल पर आक्रमण से। इसके साथ ही अगले पांच दशकों में पूरे बंगाल का इस्लामीकरण/अरबीकरण हो गया था। इस इस्लामीकरण की उपलब्धि के पीछे सैनिक और

राजनीतिक ताकतों का आपस में मिलना बड़ा कारण था इसकी नीति धर्मांतरण की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते रहना रही है। यह पूरी प्रक्रिया बलपूर्वक और प्रेरित करवाकर या फिर सूफियों और दूसरे तरह के सामाजिक दरबारों को अमल में लाकर पूरी की गई और अंत तक जारी रही।[4]

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और इसका बंगाल के समाज पर प्रभाव : हिन्दू प्रतिक्रिया

1757 में बंगाल पर अंग्रेजी शासन का आधिपत्य होने के बाद बंगाल के हिन्दुओं के लिए एक सांस्कृतिक–राजनीतिक स्थान बन गया था। आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत 1780 में तब हुई जब वारेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स द्वारा शुरु किए गए सुधार कार्यक्रमों का असर बंगाल में दिखाई देने लगा।[5] इन कदमों के चलते ही बंगाल में शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के साथ ही साथ वैचारिक उदारवाद और सुधार की परंपरा बंगाल के हिन्दू बुद्धिजीवियों में शुरू होने लगी। जिसे कथित रूप में बंगाल का पुनर्जागरण भी कहा गया। 1793 में कार्नवालिस कोड ने कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा का आधार भी तैयार कर लिया था। राजा राममोहन रॉय, विद्यासागर और स्वामी विवेकानन्द जैसे सामाजिक/धार्मिक सुधारकों तथा बंकिम चंद्र चटर्जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर और कई अन्य विद्वानों ने बौद्धिक समाज की परिकल्पना को आकार देना शुरू कर दिया था जिसका संबंध लोकतांत्रिक उदार नीतियों से माना जाता था।

इस तरह बंगाल के हिन्दू भारत के दूसरे भाग के हमवतन लोगों की तुलना में आधुनिक राजनीति और औपनिवेशिक सत्ता के विरोध में अभियान चलाने वाले नेतृत्व के रूप में दिखाई देने लगे। भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत रोमेश चन्द्र दत्ता, अरविन्दो घोष, विपिन चन्द्र पॉल और सुभाष चन्द्र बोस जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक आंदोलन को हवा देने का काम शुरू कर दिया था। इनमें से ज्यादातर लोग ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, फ्रांस की क्रांति, आइरिस की क्रांति और इटली के बौद्धिक विचारक माजिनी के घोर प्रशंसक होने के साथ ही भारतीय चिंतन परंपरा में विश्वास करने वाले भी थे।[6]

ब्रिटिश शासन को लेकर मुसलमानों की प्रतिक्रिया : अलगाववादी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर

भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना को लेकर जहां एक ओर बंगाल में हिन्दुओं की प्रतिक्रिया इस तरह की थी तो दूसरी ओर मुस्लिम तबकों की प्रतिक्रिया कुछ अलग किस्म की थी। सामाजिक, धार्मिक विभाजन के इस दौर में बंगाल का मुस्लिम समाज कुछ दूसरे तरह की सोच रखता था।

हालांकि धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम बने ग्रामीण बंगाल के ज्यादातर लोगों ने केवल नाम को छोड़कर इस्लाम को पूर्ण रूप से अपनाया नहीं था और उन्होंने अपने हिन्दू रिश्तेदारों/पड़ोसियों के साथ सदभावपूर्ण संबंध बनाकर रखे थे। पर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वहाबियों के एक अभियान ने इस्लाम के पवित्रीकरण के नाम पर कहर बरपा दिया गया, वहाबियों ने अपने इस अभियान के तहत हिन्दू बौद्ध तथा दूसरे गैरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों के रहे-सहे धार्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को तोड़ कर रख दिया। इस तेज-तर्रार जेहादी अभियान में हिन्दू और मुसलमानों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया था।[8] इस तरह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के ऊपर एक और विभाजक रेखा खींच दी गई।

कुछ अपवादों को छोड़कर पूरा मुस्लिम समाज भारत के पुनर्जागरण की प्रक्रिया से अलग-थलग ही रहा।[9] 1871-72 में कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नोरिस और गर्वनर जनरल लॉर्ड मेयो की वहाबियों द्वारा हत्या कर देने की घटना से एक नए राजनीतिक इस्लाम का जन्म हुआ। नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन के सैयद अमीर अली सरीखे नेताओं की जमाल-अल-अफगानी के साथ मुलाकातों और पूरे भारत में इस्लाम के विचार का प्रसार करने के उद्देश्य से 19वीं शताब्दी में मुस्लिम अलगाववादी/सांप्रदायिक प्रवृत्तियों का बीज बो दिया।[9]

सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा है कि 1876-77 के दौरान हिन्दू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच दोस्ताना संबंध कायम करने के लिए उनको किस तरह भारत भर में घूम-घूमकर एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था।[10]

अलीगढ़ आंदोलन (बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) के संस्थापक सर सैयद अहमद ने अपनी विभाजक नीतियों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था जताई, भारत में इस्लाम की फतह के दौरान बगदाद के हिन्दुओं में इस तरह के मुस्लिम आंदोलन का

विपरीत असर पड़ा।[11] इस तरह की उथल-पुथल के बीच 1881 की जनगणना एक ओर घबराहट का संदेश दे गई जिसके मुताबिक उस समय बंगाल की कुल आबादी का आधा हिस्सा मुस्लिम थी जबकि हिन्दुओं की संख्या लगातार गिरती जा रही थी।

अंतर सामुदायिक संबंधों में गिरावट

1905 में बंगाल के विभाजन ने मुस्लिम अलगाववाद के साथ एक आतंकवादी आधार तैयार कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी आंदोलन बुलंद हुआ और इसके अनुसरण में दंगों का सिलसिला भी शुरू हो गया। 1911 में जब एक बार फिर बंगाल का एकीकरण हुआ, तब भी हिन्दू और मुसलमानों के आपसी मतभेद जारी रहे। हालांकि तब 1906 में शिमला समझौते के तहत बंगाल के एकीकरण और हिन्दू मुस्लिम विवाद निपटाने की बात कही गई थी। इसी दौरान मुसलमानों के एक तबके ने देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमानों की तैनाती की मांग भी शुरू कर दी थी। 1909 में मॉर्ले मिन्टो सुधार कानून लागू होने के साथ ही मुस्लिम तबके को इसमें कुछ सफलता भी मिली। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसके बावजूद राष्ट्रवादियों को यह उम्मीद बनी रही कि हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम रहेगी।[12]

सितंबर 1918 इस देश के इतिहास में एक ऐसा क्षण था जब पहली बार हिंसक भीड़ को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह मौका तब आया जब कोलकाता की नखोदा मस्जिद से आई एक आवाज को सुनकर बड़ी तादाद में हिंसक भीड़ गलियों में छा गई और बड़े पैमाने पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही हाथापाई और मारपीट करने लगी। इस हादसे को काबू में करने के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। जैसा कि उस समय पूर्वी बंगाल के एक नामी नेता और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य नवाब खान बहादुर सैयद नवाब अली चौधरी ने 1920 में कहा था, "अब तक भारत के इतिहास में जबसे यहां मुसलमानों का आगमन हुआ है, दोनों समुदायों के बीच परस्पर विरोध की स्थिति हमेशा बनी ही रही है। इसी विरोध ने शत्रुता, मनमुटाव और प्रतिरोध के रूप भी देखे हैं। इन परिस्थितियों में हमें दोनों समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाने के संदर्भ में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि एक समुदाय को खुश रखने के चक्कर में हम दूसरे को नाराज कर बैठें।"[13]

भारत में सांप्रदायिक हिंसा सदियों पुरानी है। कम-से-कम मुगल सल्तनत के युग से ही इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। गांधी के खिलाफत/असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति को

बढ़ावा मिला था। जिसकी वजह से मोपला में हिन्दुओं पर हुए हमले में बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। इसके साथ ही कोहट में हुए हिन्दू विरोधी दंगों और 1926 में दिल्ली में एक मुस्लिम द्वारा की गई स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या सांप्रदायिक हिंसा के अनेक कारणों का आधार बनती है। यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता ब्रिटिश शासकों के दिमाग की उपज नहीं है। जैसा कि कुछ स्वनामधन्य इतिहासकारों का मानना है। वास्तव में अंग्रेज तो कई बार निष्पक्ष भी दिखाई देते हैं तो कभी भेदभावपूर्ण नीति के परिचायक भी और उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से हिन्दू-मुस्लिमों के बीच की खाई का अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया और कालान्तर में इस खाई को उन्होंने और बड़ा कर दिया। 1940 तक आते-आते अंग्रेजों ने अपने आप को पूरी तरह मुस्लिम परस्त बना दिया। यह उनकी अपनी प्रशासनिक क्षमता थी।[14]

कोलकाता नगर-निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष चन्द्र बोस ने 1924 में मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की थी। तब चितरंजन दास निगम के मेयर थे और सोहरावर्दी डिप्टी मेयर। मुस्लिम तुष्टीकरण की गरज से सुभाष चन्द्र बोस ने निगम की 25 में से 23 सीटें मुसलमानों को दे दी थी और इससे गांधी का विश्वास हासिल किया।[15]

फरवरी 1938 में सुभाष चन्द्र बोस ने हरिपुरा में यह भरोसा दिलाया था कि आजादी के बाद मुसलमानों को किसी तरह का खतरा नहीं रहेगा। उन्हें फायदा ही फायदा होगा।[16]

सांप्रदायिक हिंसा और अलगाववाद की बढ़ती प्रवृत्ति

15 अक्टूबर, 1937 को लखनऊ में जिन्ना के भाषण में सांप्रदायिक युद्ध की संभावना के संकेत दिए गए थे। महमूदाबाद के राजा जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे, ने कांग्रेस की ओर से आए गठबंधन की सरकार बनाने के प्रस्ताव को नकारने के साथ ही उस पर सहमति बनाने के संकेत भी दिए। यह अहसास दिलाने के लिए कि मुस्लिम लीग कांग्रेस से कई मुद्दों पर असहमत होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है, अक्टूबर 1938 को कराची में मुस्लिम लीग की प्रादेशिक सभा को संबोधित करते हुए बंगाल के प्रधान फजलुल हक ने कहा था, "जब आठ साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम 18 सैनिकों की मदद से सिंध फतह कर सकता है तो निश्चित ही 9 करोड़ मुस्लिम पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं।"[18] अगर उनके विरोधियों ने उनको गंभीरता से लिया होता तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उस युद्ध में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता था।

वास्तव में सुभाषचन्द्र बोस ने सिंध को एक मुस्लिम सांप्रदायिक, असहिष्णुता का पर्याय मान लिया था।

1940 में उन्होंने अधिकारियों से कहा था, "मैं कहता हूं सांप्रदायिकता और अन्याय के रास्ते पर चलने वाले अपने पागलपन के अभियान को रोक दे। ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि जो पलट कर तुमको ही नुकसान पहुंचाए और बंगाल को दूसरा सिंध न बनाए।"[19] इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए ब्रुम फील्ड कहते हैं, "इस संबंध में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वे अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए एक अलग देश चाहते हैं। मुस्लिम सोच में एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान बनाकर रखने की धाारणा हमेशा ही एक आधार के रूप में रही है।"[20]

1915 में स्थापित हिन्दू महासभा और हिन्दू सांप्रदायिकता हमेशा ही दबी रही और उसका झुकाव भारतीय राष्ट्रवाद की ओर ही रहा, जबकि वे कांग्रेस और अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का विरोध करते थे। राजनीतिक रूप से सक्रिय भारत के मुसलमानों ने भी गांधी–बोस–नेहरू की नेतृत्व वाली कांग्रेस को भी एक फासिस्ट और हिन्दू सांप्रदायिक पार्टी के रूप में हमेशा नकारा ही था।

1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद राजनीतिक विकास

1940 में लाहौर में संपन्न मुस्लिम लीग के सम्मेलन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करने के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल को प्रस्तावित पाकिस्तान के एक मुख्य संघटक के रूप में पहचान लिया था, मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव ने भी सांप्रदायिक तनाव को बड़ी तेजी के साथ हवा दी।

1941 के ढाका दंगे के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने अनिश्चित राजनीतिक स्थितियां पैदा कर दी थीं। तब मुस्लिम लीग की नजर कोलकाता पर थी। और वह उसे पूर्वी पाकिस्तान का एक हिस्सा बनाना चाहती थी। 6 अक्टूबर, 1940 या 1941 को जिन्ना ने सोहरावर्दी को लिखा था, "मैं आपकी बात से सौ फीसदी सहमत हूं कि बंगाल को मुस्लिम लीगी बना दिया जाए।" सुभाषचंद्र बोस को पार्टी से निकालने के बाद कांग्रेस राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया। उस समय भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जाती थी और सरकार ने भी उनका पूरी तरह इस्तेमाल किया।

16 अगस्त, 1946 को डाइरेक्ट एक्शन के रूप में हुए खूनी घमासान का खिलाड़ी जिन्ना को माना जाता है और उनके मुस्लिम लीग के नेता अविभाजित बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने इस डाइरेक्ट एक्शन को बड़े तरीके से अमलीजामा पहनाया था। इसके चलते ही कोलकाता और ढाका में हिन्दुओं पर मारक हमले किए गए। अक्टूबर 1946 में नोवाखाली में हिन्दुओं पर हुए ऐसे ही दमनकारी हमले ने यह

भविष्यवाणी कर दी थी कि विभाजन के बाद अस्तित्व में आने वाले इस्लामिक देश पाकिस्तान में हिन्दुओं की क्या स्थिति होगी।[21]

अगस्त 1947 के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति

1947 में पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू बौद्ध और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या कुल आबादी का लगभग 29 प्रतिशत थी और आज वहां की कुल आबादी में इनकी संख्या घटकर लगभग 8 प्रतिशत पर आ गई है। यह सही है कि पूर्वी बंगाल/पूर्वी पाकिस्तान ने विभाजन के समय तमाम हिन्दू और बौद्ध आबादी को बाहर नहीं खदेड़ा था। जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले हिस्से में हुआ था।

"इस्लाम की भाषा में कहें तो यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू और सिख अल्पसंख्यकों को एक झटके में बाहर कर दिया गया था। ठीक वैसे ही जैसे बलि देने के लिए बकरे को झटका देकर काटा जाता है। इसके विपरीत पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू और बौद्ध हलाल की तरह धीरे-धीरे बाहर किए गए और धड़ से अलग कर दिए गए"[22]

जैसा कि प्रफुल्ल के. चक्रवर्ती ने अपने एक आलेख में कहा है, "भारत के पश्चिमी क्षेत्र में नेहरू ने एक आदान-प्रदान को प्रभावित किया था। और तब पश्चिमी पाकिस्तान की समस्याओं को सुलझाने के काम में लग गए थे। इसका असर यह हुआ कि दो साल के भीतर ही पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को पूरी तरह पुनर्वासित कर एकीकृत भारत की राजनीति का हिस्सा बना लिया गया था। चक्रवर्ती आगे कहते हैं, "लेकिन इस विस्थापन की त्रासदी ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में विभाजन के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी और इस समस्या की ओर कभी भी गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया। न तो वहां के लोगों ने विभाजन की इस त्रासदी को गंभीरता से लिया और न ही केंद्र या राज्य सरकारों ने। जिसके चलते यह एक ऐसा अध्याय बन गया जिसे आजादी के बाद भुला दिया गया था। यह बात अलग है कि विभाजन के बाद की यह अनसुलझी त्रासदी हमें आज भी हर कदम पर परेशान करती है।"[23]

चक्रवर्ती के मुताबिक मार्च 1948 तक 10 लाख विस्थापितों का जमावड़ा हो गया था और इसके ठीक तीन महीने बाद ही जून 1948 में यह आंकड़ा एक करोड़ 10 लाख हो गया था। अजीब बात तो यह है कि हैदराबाद के निजाम के खिलाफ भारत सरकार की पुलिस की कार्रवाई पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं के मन में भय का एक कारण बन गई थी। पाकिस्तान से भागकर भारत आए लोगों में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र और समाज के कमजोर तबकों के लोग थे।

जो लोग कपटपूर्वक यह प्रचार करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में केवल उन्हीं हिन्दुओं को उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने इसलिए परेशान किया था क्योंकि इन हिन्दुओं के पास अपार संपदा थी और समाज में उनकी अच्छी हैसियत थी। यह कहना एकदम गलत है क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम दमनकारियों का शिकार होने वाले हिन्दुओं में समाज के गरीब और वंचित तबके के लोग भी कम नहीं थे।[24]

भारत के अग्रणी इतिहासकारों में से एक सर जदुनाथ सरकार ने अगस्त 1948 में मुस्लिम शासकों के व्यावहारिक तौर-तरीकों पर टिप्पणी करते हुए किए गए अपने एक अध्ययन में चेतावनी देते हुए यह कहा था, "हमारी केंद्र सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि जुलाई के अंत तक यानी भारत की आजादी के बारह महीने से भी कम की अवधि में साढ़े 11 लाख से ज्यादा लोग पूर्वी बंगाल से पलायन कर पश्चिम बंगाल में आ गए थे और विस्थापितों के आने का यह सिलसिला रूका नहीं था। इससे पांच दिन पहले ही 760 लोग पूर्वी पाकिस्तान से सियालदह पहुंचे थे और लोगों के आने का यह सिलसिला कभी-कभी एक दिन में हजार के आंकड़े को भी पार कर जाता था। मुझे नहीं लगता कि विस्थापितों के आने का यह सिलसिला कभी रूकेगा। मैं जब भविष्य की ओर देखता हूं साल दर साल मानवता के चेहरे को पढ़ते हुए इस सोच में डूब जाता हूं कि पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल और कोलकाता आने का यह सिलसिला कभी थमेगा नहीं। क्योंकि कोलकाता मानवीय गोदाम का सबसे बड़ा और पहला डिपो है।"[25] सर जदुनाथ कितने महान व्यक्ति थे! जयंत कुमार रे ने कहा है, "पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बौद्ध, ईसाई और बड़ी तादाद वाले हिन्दू सभी बहुत व्यवस्थित तरीके से अलग-थलग कर दिए गए और उनको भारत से लगे इलाकों की ओर खदेड़ दिया गया। दमन और अत्याचार के स्वरूप और मात्रा में समय और स्थान के हिसाब से फर्क हो सकता है पर यह सिलसिला लगातार जारी है।"[26]

पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र

पूर्वी पाकिस्तान के संदर्भ में विशेषकर चर्चा करते हुए, तायाजिन्कीन ने यह महसूस किया, 'जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं का सवाल है और व्यावहारिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान के हिन्दुओं का सवाल है। वहां ऐसा कोई अल्पसंख्यक हिन्दू नहीं है जिसकी हैसियत भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम की हो जो वहां पूरी तरह बस गए हों। हिन्दू बहुत संयमी और सहनशील होते हैं। पर अगर पूर्वी बंगाल के शेष 90 लाख हिन्दू भारत की ओर रूख करें, तो संभव है हिन्दुओं का संयम भी लड़खड़ाने लगे। जिसकी परिणति इस रूप में भी हो सकती है कि भारत से भी अल्पसंख्यक मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़े ताकि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं को भारत में शरण दी जा सके।'[27]

1950 का नरसंहार

1950 में हुए नरसंहार से पहले पूर्वी पाकिस्तान के अनेक हिस्सों में अगस्त 1949 के बाद से हिन्दुओं के खिलाफ दमन और अत्याचार के कई मामले सामने आए। इन हमलों में जान व माल का काफी नुकसान हुआ और इसके चलते ही बड़ी तादाद में हिन्दुओं ने भारत की ओर पलायन भी किया। 20 दिसंबर, 1949 को पूर्वी पाकिस्तान के खुलना जिले के कलसीरा गांव में स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए एक हमले से हिन्दू दमन के मामलों की शुरुआत हुई थी जिसका कुछ असर कोलकाता में मुस्लिम विरोधी हमलों के रूप में देखा गया। जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के बड़े हिस्से में व्यापक पैमाने पर हिन्दुओं पर हमले हुए।

जैसा कि चक्रवर्ती ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है, "इस बार विस्थापितों को एक तुफान का सामना करना पड़ा।"[28] हिन्दुओं पर व्यवस्थित तरीके से, व्यापक और घातक हमला किया गया। सरकारी अधिकारी और पुलिस पूरे दौरान मूकदर्शक बने रहे और अंसार कहे जाने वाले सशस्त्र मुस्लिम दंगाईयों ने लूटपाट मचा दी। मार्च 1950 में पाकिस्तान की संविधान सभा में हिन्दुओं पर हुए इस कातिलाना हमले का मामला उठाते हुए धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने सही कहा था, 'हमारे समुदाय का वजूद ही खतरे में पड़ गया है।'[29]

इसके तुरंत बाद ही 1950 में बड़े पैमाने पर हिन्दू विस्थापितों ने भारत में शरण ली जिनकी संख्या 10 लाख 75 हजार बताई जाती है। इस बारे में ग्राहम का यह कहना गले नहीं उतरता कि आर्थिक विषमता के चलते सांप्रदायिक असंतोष का जन्म हुआ। उन्होंने आगे कहा, भारत अपनी मुद्रा रुपए का मूल्यांकन स्टर्लिंग पाउंड से करना चाहता है जो पाकिस्तान को स्वीकार्य नहीं है। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान को कोयले की आपूर्ति बंद कर दी, पूर्वी पाकिस्तान ने भारत को कच्चा जूट का माल देना बंद कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं पर जितना बड़ा हमला किया गया उससे यह साफ पता चलता है कि इस्लाम में कितनी असहिष्णुता है। ग्राहम ने अपने मूल्यांकन में ढ़ाका की नुरूल अमीन सरकार की असफलता की तुलना कोलकाता की वी.सी. रॉय सरकार के काम-काज करके भयंकर भूल की है।

भारत का राजनीतिक वर्ग जिसने कश्मीरी हिन्दुओं को अपने ही देश में विस्थापित बना दिया

ऐसा तब हुआ जब नेहरू की सरकार के एक कैबिनेट मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ऐसा लगा कि पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं पर हुए हमलों का नेहरू की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा तब हुआ जब

वे (श्री मुखर्जी) और सरदार पटेल चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ आबादी के आदान-प्रदान के पुराने विचार को नए सिरे से रेखांकित करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, जिसे तब नेहरू ने एक सिरे से नकार दिया था। नेहरू सरकार के ही एक और कैबिनेट मंत्री एन.वी. गाडगिल ने भी तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार से सहमति व्यकत की थी। उनका यह कहना था, "जब कश्मीर में मुस्लिमों पर हमला होता है तब आप करोड़ो रुपए खर्च कर सशस्त्र सेनाएं भेजते हैं। आप हम बंगाली हिन्दुओं की क्या परवाह करते हैं? हमारी महिलाओं पर होने वाले हमलों की कैसे हिफाजत करते हैं?[30] निश्चित ही नेहरू ने इसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वे हमेशा से ही हिन्दू विरोधी मानसिकता पाल कर चल रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तथ्य की ओर इशारा किया था उसमें काफी सच्चाई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं अप्रैल 1950 में नेहरू और लियाकत के बीच हुए समझौते ने पाकिस्तान की एक और जीत सुनिश्चित कर दी थी[31] और इससे नेहरू और उनकी कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार की बड़ी हार हुई थी।[32] (देखें परिशिष्ट-I) पर तब तक भारतीय संसद में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद नेहरू ने हिन्दुओं की परेशानियों की ओर से पूरी तरह मूंह मोड़ लिया था, विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं के प्रति नेहरू ने अनदेखी करनी शुरू कर दी थी। एक बार फिर उन्होंने अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र का अहसास कराया और इस अहसास के चलते ही पाकिस्तान के प्रति उदारता का भाव दिखाते हुए वहां से भगाए गए सभी हिन्दू और सिखों के प्रति उदासीनता का भाव अपना लिया।

नेहरू-लियाकत के बीच हुए समझौते का असर इस रूप में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के दोनों धड़ों के हिन्दू खासतौर पर पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं का भाग्य हमेशा के लिए ही बंद हो गया था। जबकि दूसरी ओर भारत में रहने वाले मुसलमान जिनमें से अधिकांश ने भारत में रहना ही उचित समझा को न केवल अच्छी तरह से रखा गया बल्कि उनकी सुरक्षा की भी पूरी गारंटी दी गई। वास्तव में कई मुसलमान जो पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। बहुत जल्दी ही वापस आ गए। लेकिन हिन्दुओं के लिए भारत आने का सिलसिला एकतरफा ही बनकर रह गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की योजना पर नजर डाली। पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दू विरोधी कार्यक्रमों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "पूर्वी बंगाल से अल्पसंख्यकों को भगाने की यह एक सोची समझी योजना थी; इसकी अनदेखी करना वास्तविकता से नजरें चुराना है।" उन्होंने संसद में बताया कि अभी हाल में पूर्वी पाकिस्तान में हुए दंगे वहां की सरकार द्वारा प्रायोजित थे और इसकी बुनियाद में भारत में हुई छिटपुट घटनाओं को बढ़ाचढ़ा कर रखना था लेकिन नेहरू का इस पर भी कोई असर नहीं हुआ। इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और समूची इस्लामिक हिंसा और हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार और यातनाओं की घटनाओं को

लेकर भारत सरकार की नीयत कहीं से भी हिन्दुओं के प्रति सहानुभूति दर्शाने वाली नहीं थी। कहना गलत नहीं होगा कि भारत सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य आततायियों को ही संरक्षण देना बन गया था।[13]

संभवत: श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह कहना सही था कि पाकिस्तान के साथ आबादियों की अदला-बदली की जानी चाहिए जिसे नेहरू ने इनकार कर दिया था। ऐसा करके नेहरू ने घोर अनैतिक और हिन्दू विरोधी काम किया था। पाकिस्तान में हिन्दू समुदाय की अमानवीय स्थितियों को देखते हुए ही वहां की सरकार में एक मात्र हिन्दू अनुसूचित जाति के मंत्री योगेन्द्र नारायण मंडल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और भारत चले आए थे।[14] (देखें परिशिष्ट - II)

पूर्वी पाकिस्तान में 1964 का नरसंहार

कश्मीर के हजरत बल दरगाह से इस्लाम के पैगम्बर से जुड़ा एक बाल गायब हो जाने की घटना के चलते पूर्वी पाकिस्तान में यह दंगा हुआ था। इसको लेकर पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ एक जिहाद छिड़ गया। पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक तानाशाह जनरल अयूब खान ने तब ढाका में कहा था कि अगर श्रीनगर की दरगाह से पैगम्बर साहब के बाल खो जाने की घटना की प्रतिक्रिया में अगर पूर्वी पाकिस्तान में कुछ होता है तो उसके लिए उन्हें जिम्मेवार न ठहराया जाए। इस प्रकरण में पंजाब के शासक का संदेश बहुत कुछ संकेत साफ कर गया है।

इसके तुरंत बाद ही अभागे हिन्दुओं पर एकतरफा हमले होने लगे। पाकिस्तान के एक केंद्रीय मंत्री ने खुलना में दिए अपने भाषण में हिन्दुओं पर हमला करने की बात कही। हिन्दुओं के खिलाफ विषवमन करते हुए बांटे गए पर्चों में उनसे पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने को कहा गया और इन पर्चों में हिन्दुओं को यह चेतावनी भी दी गई कि अगर वे भारत नहीं भागे तो उनका नरसंहार कर दिया जाएगा। श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के खुलना, ढाका, राजशाही, सिलहट (मूल रूप से श्रीहट्टा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और एक शक्तिपीठ) और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक स्थानों में दंगे कराए गए। सिलहट में हुए रक्तमय घमासान का एक दुखद पहलू यह भी था कि पवित्र हिन्दुओं को जबरन गोमांस खाने को कहा गया। ऐसे ही एक पवित्र हिन्दू बासुदेव शर्मा के साथ भी हुआ। चायबगानों के 35 हिन्दू मजदूरों को जबरन धर्मांतरण के लिए विवश किया गया और गोमांस खाने को कहा।

दमन और उत्पीड़न का शिकार होने वाले हिन्दू समाज के लोगों में संपन्न और विपन्न दोनों ही तबकों के लोग थे। ऐसे कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि इस समाज के गरीब तबके के हिन्दू लोगों के साथ इसलिए सम्मानजनक व्यवहार किया गया क्योंकि वह मुस्लिम

आक्रमणकारियों की तरह समाज के छोटे तबकों से ताल्लुक रखते थे और केवल समाज के संपन्न तबके को हिन्दू विरोधी मुहिम में निशाना बनाया गया था।[35]

विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गए पूर्वी पाकिस्तान के खुलना जिले के बारे में तब–तक यह कहा जाता था कि वह एक हिन्दू बहुल जिला है लेकिन वहां से हिन्दुओं के पलायन के बाद वह एक अल्पसंख्यक हिन्दू जिला बनकर रह गया। कहा जा सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान के खुलना जिले की तुलना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से की जा सकती है क्योंकि देश के विभाजन के समय वह एक मुस्लिम बहुल जिला था। मुर्शिदाबाद को खुलना से मिलाकर नहीं देखा जा सकता क्योंकि 1947 के बाद भी मुर्शिदाबाद जिला मुस्लिम बहुल ही बना रहा। यही नहीं बाद के वर्षों में इस जिले की हिन्दू आबादी में भी कमी आ गई थी। यहां इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल के पांच और जिले असम के कई जिलों की तरह मुस्लिम बहुल जिलों में तब्दील हो गए थे।

हिन्दुओं के साथ ही विभाजन की त्रासदी का असर बड़े पैमाने पर ईसाई समुदाय ने भी झेला है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 35 हजार ईसाईयों ने असम में शरण ली थी। इनमें से ज्यादातर लोग पूर्वी पाकिस्तान के माई मेन सिंह जिले के गारो, हजोंग औार डुलूस तबकों से ताल्लुक रखने वाले थे। भारत सरकार में तब उपविदेश मंत्री रह चुकी लक्ष्मी मेनन ने भी यह कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने वाले विस्थापितों को भी पूर्वी पाकिस्तान रायफल्स के जवानों ने निशाना बनाया था। इस नरसंहार के बारे में सही मायनों में यही कहा जा सकता है कि यह वीभत्स नरसंहार पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिन्दुओं को पूरी तरह खदेड़ने के लिए किया गया नरसंहार था।

इन नियोजित नरसंहारों के अलावा अल्पसंख्यक हिन्दुओं की एक सबसे बड़ी परेशानी उनकी भूमि और संपत्ति को लेकर भी थी। दुनिया के किसी भी देश में वहां की सरकारों ने अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं किया होगा जैसा 1965 में पाकिस्तान में लागू हुए शत्रु संपत्ति कानून से हुआ। इसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया जा सकता है, "पूर्वी पाकिस्तान से एक सुविचारित और सुव्यवस्थित तरीके से अल्पसंख्यकों को उनकी संपत्तियों से खदेड़ने और उनके समूल उन्मूलन की गरज से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान की सरकार ने 1965 में शत्रु संपत्ति कानून लागू किया था। जिस वक्त यह कानून लागू हुआ। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। यह कानून लागू करने के पीछे एक यही चाल थी कि इस बहाने अल्पसंख्यकों को राज्य का शत्रु घोषित कर उनकी संपत्तियों को हड़प लिया जाए। इस कानून को लागू करने के लिए कई तरह के कानूनी प्रावधानों और

अध्यादेशों का सहारा लेना पड़ा था जिसकी शुरुआत 1951 में लागू हुए ईस्ट बंगाल इवैक्वी प्रॉपर्टी रिसौर्टेशन, पजेशन एक्ट से हो गई थी। इसके अलावा ईस्ट बंगाल इवैक्वी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इममोवेबल प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1951, द ईस्ट बंगाल प्रीवेंसन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिमूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एक्ट ऑफ 1952, द ईस्ट बंगाल डिस्टर्वड पर्सन्स रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंश ऑफ 1964 जैसे कानूनी कदम पहले ही उठा लिए गए थे। इन कानूनी प्रावधानों की मदद से यह प्रावधान पहले ही सुनिश्चित कर लिए गए थे कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। मतलब यह कि ऐसे प्रावधान लागू कर पाकिस्तान सरकार ने हिन्दू अल्पसंख्यकों पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वह अपनी रखेगा वह अपनी चल और अचल संपत्ति छोड़कर बेघर हो जाएं।"[36]

इसके बाद वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट की आड़ में हिन्दुओं को जबरन उनकी संपत्तियों से बेदखल करने का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया था। कानूनी विशेषज्ञों की राय में इस कानून को बड़े पैमाने पर गलत व्याख्या की गई और उसका दुरुपयोग किया गया ताकि हिन्दुओं को वहां से हतोत्साहित कर खदेड़ा जा सके और उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। दिखाने भर को कई संशोधन लाकर इस काले कानून के अमानवीय प्रावधानों की कोशिशें भी की गईं लेकिन कानून का वजूद जस का तस बरकरार रहा।

हालांकि यह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सरकार की सोची समझी और सुविचारित योजना का एक हिस्सा भर है पर वहां से भागकर भारत आने वाले अल्पसंख्यक हिन्दुओं के विस्थापन का यह एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है।"[37]

इस विषय पर विशेषज्ञता रखने वाले बांग्लादेश के एक विद्वान अबुल बरकत ने जैसा कहा है उससे भी यह पता चलता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के साथ हमेशा ही दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है, "पाकिस्तान में धार्मिक सांप्रदायीकरण इतना असरदार रहा कि 1965 के भारत पाक युद्ध में वहां की सामंती सेना के नायकों को बांग्लादेश के सभी हिन्दुओं को हिन्दुस्तानी कहने में 24 घंटे का भी समय नहीं लगा। पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने शत्रु संपत्ति कानून लागू कर पाकिस्तान में रह रहे हिन्दुओं को शत्रु करार दे दिया।"[38] उस समय वहां रह रहे 60 लाख हिन्दुओं की खेती योग्य जमीन लगभग 20 लाख 60 हजार एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई थी।[39]

मजेदार बात यह है कि अमर्त्य सेन की पारिवारिक संपत्ति भी वेस्टेड प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई और इसी तरह चिटगांव सशस्त्र आंदोलन के महान सेनानी सूर्य सेन की पारिवारिक संपत्ति भी वेस्टेड प्रॉपर्टी घोषित

कर दी गई। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों की जमीन छीनकर उन्हें बेदखल करने संबंधी इस अन्याय को राज्य द्वारा प्रायोजित दुरूपयोगी कानून की संज्ञा दी गई और इसको खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान भी चलाया गया। इसके बावजूद जमीन से बेदखल किए गए लोगों को उनकी संपत्ति का वाजिब स्वामित्व नहीं मिल सका। कानून तो खत्म हो गया लेकिन उन संपत्तियों पर अवैद्य रूप से कब्जा किए हुए लोगों ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा। चोरी की ऐसी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों में ज्यादातर वहां की राजनीतिक पार्टियों के कर्ताधर्ता ही थे। इनमें अवामी लीग भी अपवाद नहीं थी।[40]

1971 का संग्राम

1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुए भारत पाक युद्ध में लगभग एक करोड़ लोग भागकर भारत आ गए, जबकि 30 लाख लोगों को पाकिस्तानी सेना और उनके स्थानीय चमचों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस नरसंहार का शिकार बने लोगों में 90 फीसदी हिन्दू थे। एक बार फिर समाचारपत्रों की सुर्खियों में आने के चलते इस नरसंहार की घटनाओं को लेकर अभी विस्तार में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। यह बड़े शर्म का विषय है कि पाकिस्तानी कैम्प की ओर से इन तथ्यों को अस्वीकार करने वाली हकीकतों का समर्थन एक भारतीय महिला विद्वान भी करती रही है और इस तरह परोक्ष रूप से वह पाकिस्तान के अमानवीय अपराधों को सही ठहराने की कोशिश कर रही है।[41]

Tribal Hindu housewives, gang raped by Islamic fanatics. The insult made them speechless. (Mukto-Mona.com)

कहीं भी कोई एक अपराध हो, उसकी क्रूरता के बारे में सोचिए। अपने हमवतन मनुष्यों के साथ लगातार होने वाले अमानवीय व्यवहार की अगर हम बात करें तो एक ही नाम सामने आता है और वह है पाकिस्तान और उसके स्थानीय गुर्गों का। इन गुर्गों में पाकिस्तान के उर्दू भाषी बिहारी मुस्लिम और कुछ बंगाली भाषी मुस्लिम जमात और अंसार के उन्मादियों की भी इस उन्माद में बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। प्राचीन देव स्थल रामना कालीबाड़ी को गिराने, ढाका की ढाकेश्वरी काली मंदिर को तोड़ने फोड़ने के

साथ ही नियम कानून ताक पर रखकर अनेक संपत्तियों को नष्ट करने और सामुहिक बलात्कार के साथ ही अनेक तरह की अमानवीय और आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं इस नरसंहार के दौरान हुई। ढाका की ढाकेश्वरी देवी के नाम पर ही ढाका शहर का नाम रखा गया था। इस नरसंहार में गांव के गांव जला दिए गए और वहां रहने वाले लोगों को कब्जे में लेकर प्रताड़ित किया गया, महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया गया और मजबूरन उनका धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाया गया। इस पूरे अमानवीय कृत में प्रमुख रूप से महिलाएं ही स्वाभाविक शिकार बनीं।

ढाका विश्वविद्यालय के जगन्नाथ हॉल के हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही तरह के बुद्धिजीवी सदस्यों और शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग के लोगों को भी इस अमानवीय कृत से बख्शा नहीं गया। इस अमानवीय हमले का एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार ने वर्णन कुछ इस प्रकार किया है, "इस लेखक ने अगर अमानवीयता के इन हादसों को खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे कभी भी यह विश्वास नहीं होता कि मानवता इतने नीचे भी गिर सकती है। इस पत्रकार ने प्रो. हमीदा रहमान के कातासुरेर, बद बध्याभूमि, शीर्षक एक लेखक का हवाला देते हुए यह कहा है कि बांग्लादेश के नरसंहार में मारे गए लोगों के शव दूर-दूर तक खींचकर खेतों तक लाए गए। प्रो. हमीदा रहमान का यह लेख 2 जनवरी, 1971 को दैनिक आजाद में प्रकाशित हुआ था। इस लेख के मुताबिक लोगों के खून से नम हुई जमीन में नरकंकालों के टीले इस बात के गवाह थे कि इस क्रूरतम नरसंहार में कितनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए होंगे।"[42] ऐसे वीभत्स नरसंहारों के दोषियों को सजा देने के उद्देश्य से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा दौर में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का गठन किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय अभियान के तहत ऐसे अपराधों की जांच हो सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके।[43]

इन घटनाओं के बाद हालांकि भारत आए विस्थापितों में ज्यादातर हिन्दू विस्थापित वापस जा चुके हैं पर इनमें से कुछ यहीं रह गए। निरंतर हो रहे अमानवीय व्यवहार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वहां लौटकर वापस जाने वाले ज्यादातर हिन्दू शरणार्थी आज भी दमन और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इसके चलते इनमें से कई लोग फिर वापस भारत की ओर आ गए।

बांग्लादेश में 1971 के बाद की परिस्थितियां

बांग्लादेश में हिन्दू, बौद्ध और दूसरे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कभी भी शांति नहीं मिली। सिवाय तब जब शेख मुजीबुर्रहमान और उनकी अवामी लीग पार्टी सत्ता में रहीं। इस अवधि को छोड़कर वहां हमेशा

ही बड़े पैमाने पर हिन्दू पलायन करते रहे। हिन्दू व्यक्तियों और परिवारों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के पीछे एक मुख्य आधार यह भी था कि वहां धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इसके अल्पसंख्यकों को एक निश्चित ठौर मिलेगा। लेकिन वहां की मुक्ति विरोधी ताकतों और धार्मिक द्वेष रखने वाले वहां के लोगों ने पाकिस्तान और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के कहने पर स्थितियां पूरी तरह पलटकर रख दी। इन्हीं ताकतों ने शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या की और उनके निकटवर्ती परिजनों को परेशान करना शुरू कर दिया।

"1975 में जब यह अल्पजीवी धर्मनिरपेक्ष युग समाप्त हो गया तब जनरल रहमान की सरकार ने बड़े तरीके से बांगलादेश का इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश का इस्लामीकरण करने की प्रक्रिया को तब बल मिला जब जनरल इरशाद के कार्यकाल में वहां के संविधान में आठवां संशोधन कर बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य बनाने का मार्ग प्रसस्त कर दिया।[44]

इसके बाद से हिन्दू, जुम्मा समुदाय और दूसरे छोटे अल्पसंख्यक समुदायों ने स्थायी परेशानी को गले लगा लिया। खासतौर पर भारत में जब अयोध्या आंदोलन की शुरुआत हुई और राम जन्म भूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया और बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। तब वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं का जीना मुहाल हो गया। 2001 में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के इशारे पर एक और नरसंहार वहां हुआ। तकलीफदेह बात यह है कि इस दौरान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2001 में हुए एक ऐसे ही हादसे में बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया का भी नाम लिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि इस हादसे में हिन्दू औरतों की अस्मिताओं पर डाका डालकर उनके परिवारों को तुरंत भारत भाग जाने के लिए प्रेरित किया गया।[45]

2013 का अंतिम दौर और उसके बाद

पाकिस्तान समर्थक जमात और ऐसे ही दूसरे कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में आकर बांग्लादेश के एक तबके की तरफ से एक बार फिर निर्दोष हिन्दुओं को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 6 मार्च, 2013 को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में लगभग 45 हिन्दू मंदिरों का विध्वंश करने के साथ ही बड़े पैमाने पर हिन्दुओं के घर और मकानों पर हमला करने के साथ ही उन पर शारीरिक उत्पीड़न भी किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में हजारों की तादाद में हिन्दू बेघर हो गए और जो कुछ उनके पास था सब लुट गया। इनमें से कुछ को सरकार द्वारा संचालित आवासों में शरण मिली।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, "बांग्लादेश में हिन्दू समुदाय भारी विपदा में है। देश के लिए यह समय एक खास तरह के तनाव का पर्याय बन गया है। हैरानी की बात यह है कि ये लोग केवल इसलिए उत्पीड़न का निशाना बन जाते हैं क्योंकि उनका धर्म हिन्दू है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बांग्लादेश स्थित शोधकर्ता अब्बास फैज का मानना है कि प्रशासन को चाहिए कि

इन लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यूं तो ये हमले पूरे बांग्लादेश में ही हो रहे हैं लेकिन दक्षिण पूर्वी कोमिल्ला जिले के दौदकांडी गांव के सुदूरवर्ती इलाकों में इन घटनाओं का असर कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। जहां एक हिन्दू मंदिर गिरा दिया गया और जला दिया गया। इन हमलों से बचे एक व्यक्ति ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को बताया कि 28 फरवरी को दक्षिण-पूर्वी नोआखाली जिले के राजगंज बाजार गांव में स्थित उसके आदिवासी मंदिर को जमात द्वारा आयोजित एक हड़ताल के दौरान लोगों ने आग के हवाले कर दिया।

"वे लोग हमारे घरों की ओर बढ़ रहे थे। और उन्होंने हमारे 30 घरों को आग लगा दी। इन घरों में 76 परिवार रहते थे। उन्होंने हमारे मंदिरों को भी आग के हवाले कर दिया। अब सब तबाह हो गए। एक व्यक्ति जो अपने परिवार की सुरक्षा के चलते अपना नाम नहीं लेना चाहता ने बताया कि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को रहने के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध कराए हैं। इन स्थायी आवासों में वे लोग रहते हैं जिन्होंने चोरी की घटनाओं या हिंसक विनाश के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि 2 मार्च को 100 नौजवान लोगों का एक समूह अपने हाथ में जमाते इस्लामी का समर्थन करने वाला बैनर हाथ में लिए हुए आया और चिटगांव के पास सतकानिया में चार दुकानों को धवस्त कर दिया साथ ही गांव के एक मंदिर को भी निशाना बनाया।"

अलजजीरा टीवी चैनल की एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है, "कुछ सप्ताह पहले जुमे की नमाज के बाद तीन हजार से अधिक लोगों की एक भीड़ ने साधन चंद्र मंडल नामक एक हिन्दू के घर पर

हमला किया। दक्षिण पश्चिमी बंगलादेश के सीमांत गांव में हुए इस हमले में कई मकानों की बलि भी चढ़ा दी गई। उन्मादी भीड़ हम हैं तालिबान, यह बंगाल बनेगा अफगान जैसे नारे भी लगाती रही। 60 साल के बुजुर्ग मंडल ने बताया कि इस हमले में हमारे घर और संपत्ति को नष्ट करने के लिए इस भीड़ ने पेट्रोल का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था।

मंडल ने पुलिस को बताया कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाउंगा, वे मुझे मार डालेंगे क्योंकि वे बार-बार मुझे धमकी दे रहे हैं। मंडल के मुताबिक पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने सतखीरा जिले के सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले लोगों को परेशान करने और हिंसक भीड़ को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये लोग मूकदर्शक ही बने रहे।

मेरी पत्नी और पुत्रवधु अपने दो बच्चों के साथ तालाब तैरकर अपनी जान बचाने के लिए यहां से निकल गए।" मंडल ने अलजजीरा को बताया कि हम अभी भी सुरक्षित नहीं है। जैसे-जैसे तनाव बढ़ता गया वैसे-वैसे अल्पसंख्यकों को हिंसा का निशाना बनाया जाएगा। अल्पसंख्यकों की यह शिकायत भी है कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित नहीं दिखाई देती। वह भी तब जब सबको यह पता है कि हिन्दुओं के साथ ही बौद्ध और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक लूटपाट करने वाली भीड़ का निशाना बन रहे हैं।

आनेवाले महीनों में युद्ध अपराधों के कुछ और फैसले आने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक लगातार भय के वातावरण में जीने को अभिशप्त हैं। खुलना जिले की सुरभि रानी मंडल ने अपनी आंख के आंसू पोछते हुए बताया कि धार्मिक उपद्रवियों ने उसके घर को तहस-नहस कर आग के हवाले कर दिया, अब हम कहां जाएं। अब मैं प्रार्थना कैसे करूं? यह पूछते हुए रानी ने बताया कि उसकी अपनी मूर्तियां इस हमले में नष्ट हो गई।

कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मैं अपने जीवन-यापन के लिए तीन गायों पर निर्भर करती थी। उनको मैंने खो दिया है। गाय का दूध बेचकर मेरा जीवन चलता था। मुझे चिंता इस बात की है कि जमाते इस्लामी की छात्र शाखा जमात छात्र शिविर एक बार फिर उपद्रव करेगी।" हालांकि सुरभि रानी ने कुछ हमलावरों की पहचान तो कर ली है लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा सकी है। बांग्लादेश में कानून का उल्लंघन करने वालों को माफ कर देना वहां की बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार और पुलिसकर्मियों में प्रोफेसनलिज्म का अभाव देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति को और जटिल बना देता है। बांग्लादेश माइनॉरिटी वाच के संस्थापक रवीन्द्र घोष ने कहा कि अतीत में खुद उनके ऊपर भी हमला हुआ लेकिन पुलिस दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही। ज्यादातर मामलों में पुलिस को

अपराधियों का पता होता है लेकिन वह कार्रवाई नहीं करती।

कई आक्रमणकारी अल्पसंख्यकों पर उनकी संपत्ति के लिए हमले करते हैं। जबकि कुछ अल्पसंख्यक महिलाओं को निशाना बनाकर हिंसक वारदातें करते हैं। इस मामले में रवीन्द्र घोष ने देश के उत्तरी जिले सिलहट में दो महीने पहले अपहरण किए गए चौदह साल के एक बच्चे के केस का हवाला देते हुए बताया कि उसके परिवार वालों ने इस बारे में संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी पर उसका कोई असर नहीं हुआ।

जब अलजजीरा ने सिलहट के पुलिस अधीक्षक सखावत हुसैन से इस बारे में जानकारी लेनी चाही तो पता चला कि उन्हें इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि जब कभी भी पुलिस को पीड़ित परिवारों की ओर से इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो वे कार्रवाई जरूर करते हैं और उन्होंने इस घटना की जांच का भरोसा भी दिलाया।

कई मामलों में अवामी लीग जो आमतौर पर अल्पसंख्यकों की हमदर्द पार्टी मानी जाती है के समर्थक भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले हमलों में हिस्सा लेते हुए पाए गए। नीदरलैंड के एक मानवाधिकार संगठन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस ने 2010 में एक दस्तावेज तैयार किया जिसमें यह बताया गया है कि बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के कई सदस्य भी हिन्दू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ खिलवाड़ करनेवालों में भी शामिल रहे हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कहना है कि आक्रमणकारी उनकी जमीन और दूसरी संपत्ति हड़पने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। इस बारे में आगे यह भी कहा गया कि बांग्लादेश के दो राजनीतिक ध्रुवों के बीच संतुलन स्थापित करने वाली राजनीति ने अल्पसंख्यकों के अधिकार का कोई ख्याल नहीं रखा है। इस दो ध्रुवी राजनीति के एक छोर पर बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री और अवामी लीग की शेख हसीना हैं तो दूसरे छोर पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया। इन दोनों ही पार्टियों ने अल्पसंख्यकों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। शेख हसीना की अवामी लीग ने अल्पसंख्यकों को एक समान आर्थिक और राजनीतिक अवसर देने के मामले में आनाकानी करने के ही संकेत दिए हैं। यही नहीं बांग्लादेश के संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने की जो बात कही गई है उस पर भी अमल नहीं हो सका है। इसकी वजह संभवत: यही है कि बांग्लादेश का संविधान अपने सभी नागरिकों को एक समान अवसर देने की बात तो जरूर करता है पर 1988 में संविधान द्वारा इसको एक इस्लामी राज्य घोषित करने से अवामी लीग की सरकार भी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में असफल

दिखाई देती है।

कई मामलों में न्यायपालिका ने हस्तक्षेप कर अल्पसंख्यकों को राहत पहुंचाने और अपराधियों को दंडित करने का काम किया है। ऐसे कई मामलों में अल्पसंख्यकों से जबरन वूसली करने के उदाहरण भी सामने आए हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय में तांगेल जिले के गोपालपुर उप जिले के 13 हिन्दू परिवारों पर हमला करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। वास्तव में यह पता चला है कि इन अभियुक्तों में से कई आवामी लीग के बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। हिन्दुओं के उत्पीड़न की गंभीर कहानियों का सिलसिला आज भी जारी है।[46]

मार्च के शुरुआत में रंगामती जिले के बाघाचारी पुलिस स्टेशन के पास स्थित श्री श्रीहरि मंदिर को बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से जला देने का मामला सामने आया है। इस घटना से करीब तीन लाख टका के नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है। इस घटना के दोषी तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए। इस मंदिर से हटाई गई देवी सरस्वती की मूर्ति रामनगर गांव के सोमेन्द्र नाथ प्रमाणिक के पूजा कक्ष से हटाकर अपवित्रीकरण करने की गरज से तोड़ दी गई। नोआखाली जिले के लक्ष्मीपुर गांव में घोष मिष्ठान भंडार और जननी हेयर कटिंग सैलून समेत कई दुकानें तोड़ दी गईं जिनका स्वामित्व हिन्दुओं के पास था।[47]

बंगाल में चल रहे हिन्दू विरोधी हिंसक अभियान को लेकर बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी कुछ इस प्रकार है, "जमात और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने कभी भी यह कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक ऐसे स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो सकेगा जो मुस्लिम सांप्रदायिक नीतियों के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होगा। ऐसी कल्पना न कर सकने वाले कट्टरपंथी तबके ने जमात के कहने पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिन्दुओं के हजारों घर बर्बाद कर दिए गए; धर्मांध भीड़ ने हिन्दू परिवारों से बहुमुल्य सामान छीन लिए और यही नहीं अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिन्दुओं के 42 मंदिर तोड़ दिए गए या फिर आग के हवाले कर दिए गए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने अब पलटकर यह मिथ्या प्रचार शुरू कर दिया है कि अवामी लीग के इशारों पर हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यह बात समझ से परे है क्योंकि बीएनपी में ऐसे लोगों की भरमार है जो कहीं न कहीं जमात से रिश्ता रखते हैं और यही लोग संगठित होकर इस तरह के उत्पीड़न, अत्याचार और नरसंहारों को जन्म देते हैं। इन हालातों में हिन्दू समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना अच्छी तरह से समझी जा सकती है। यही बात बांग्लादेश के

बौद्धों के बारे में भी आसानी से समझी जा सकती है जिन्होंने पिछले वर्ष दक्षिण पश्चिम के रामू कस्बे में अपने मंदिरों, धार्मिक अभिलेखों को इसी तरह नष्ट होते हुए देखा था। ढाका में मुस्लिम उपद्रवियों द्वारा ईसाई समुदाय को धमकियां देने के मामले भी सामने आए हैं।[48]

दैनिक स्टेट्समैन के संपादक मानस घोष बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों और उत्पीड़न का श्रेय काफी हद तक विपक्ष की नेता खालिदा जिया और उनके पाकिस्तानी मेंटर्स को देते हैं। जिनसे उन्होंने कुछ समय पहले सिंगापुर में मुलाकात की थी। खालिदा जिया और उनके गठबंधन के सहयोगी जमात के नेता ने भारत के राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा का विरोध करते हुए हड़ताल का आह्वान भी किया था। इस हड़ताल के माध्यम से व्यवस्थित रूप से बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सफाई का संदेश भी दिया गया था। इसी हड़ताल के माध्यम से खालिदा जिया की पार्टी ने बांग्लादेश के हिन्दुओं और बौद्धों को यह कहते हुए अपमानित भी किया था, "अगर अगले किसी चुनाव में अवामी लीग को वोट दिया तो तुमको यह देश छोड़कर भारत जाना होगा।"[49]

निष्कर्ष की ओर

हालांकि सहबाग स्क्वायर में किया गया असहयोग प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और आप कौन हैं, आप कौन हैं जैसे नारों से आयोजन स्थल गूंजता रहा। जिसके जवाब में उतनी ही शक्ति के साथ कहा गया, बंगाली, बंगाली और धर्म व्यक्तिगत है, देश सबका है, फिर भी समाज के कई तबकों के लिए यह आंदोलन गैर इस्लामिक था और भारत समर्थक था जिसकी प्रेरणा भारत से मिली थी। चाहे जो भी हो इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का एक मकसद हिन्दू विरोधी आवाज को बड़े पैमाने पर दबाना भी था। जिसने पूर्वी पाकिस्तान के उस चरित्र को बदल दिया था जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया स्वायत्त देश बना। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बंगाल बनने में कई सदियों का समय लगा था जिसे बांग्लादेश के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के रूप में मान्यता मिली थी पर बांग्लादेश की मुक्ति के कुछ ही दशकों के बाद यह धर्मनिरपेक्ष देश इस्लामीकरण के लपेट में आ गया।

इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले प्रदर्शनकारियों में कई पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों वाले थे जिन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ अपनी पहचान उनलोगों के साथ बनाई जो उपनिवेशवादी प्रवृत्ति के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बंगाल के ऐसे प्रेरणादायक हस्ताक्षरों में सूर्य सेन, प्रीति लता वाडेदार जैसे उनलोगों के नाम भी शामिल हैं जो चिटगांव सशस्त्र आंदोलन के सेनानी थी और इस प्रकार इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी पहचान के तौर पर बंगाली अस्मिता की रक्षा को आधार बनाया था पर इन लोगों के सामने सबसे बड़ी

समस्या यह थी कि जिस तरह पूरे क्षेत्र में इस्लामीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसका सामना कैसे किया जाए।

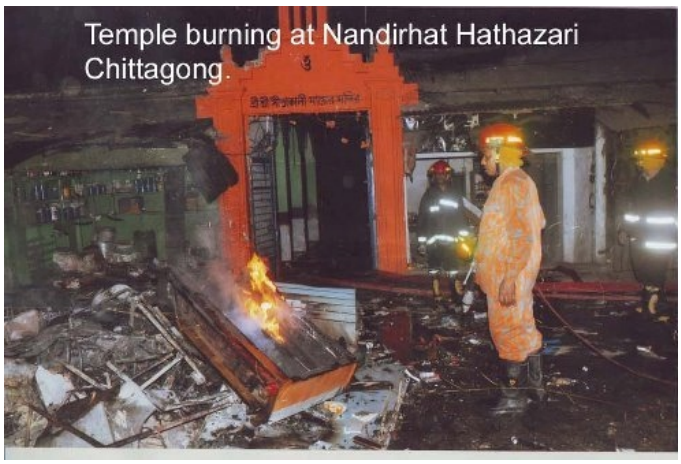
Temple burning at Nandirhat Hathazari Chittagong.

ऐसा लगता है कि मध्यपूर्व के सऊदी अरबिया जैसे देशों की मदद से वहाबी आंदोलन और इस्लाम के प्रसार की मान्यता को बल मिला है। इस तरह के सांप्रदायिक आंदोलनों को समर्थन देने और आर्थिक मदद से मजबूती प्रदान करने का एक परोक्ष सिलसिला यह भी है कि ऐसे जनांदोलन को मदरसा–मस्जिद–स्वैच्छिक संगठनों के त्रिकोण के माध्यम से मदद दी जाती है। ऐसे कई संगठन दूसरे रूपों में भी भारत के भी कई हिस्सों में सक्रिय हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल में भी ऐसे संगठनों की उपस्थिति देखी जा सकती है। इन संगठनों की सक्रियता ने अभागे हिन्दू अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत दुखदायी कर दी है। जैसा कि घोष भी मानते हैं पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की आज फिर वही काम करने लगे हैं जो काम इन देशों ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए किए गए युद्ध को कमतर आंकने के लिए किया था। पर इस बार यह काम वैश्विक स्तर पर इन देशों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज् यह संगठन ऐसे आंदोलनों का विरोध करता है जो वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले इस्लामीकरण के अभियान को चुनौती दे सकते हैं।[50]

हिन्दू और दूसरे गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न लगातार जारी रहने के अनेक कारणों में एक कारण यह भी है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे इन अभिशप्त लोगों की आवाज को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने वाला कोई नहीं है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां आए दिन श्रीलंका में तमिलों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। एक उदाहरण के रूप में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने श्रीलंका के तमिलों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के क्रम में अपनी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के तहत चेन्नई में चल रहे श्रीलंकाई प्रतिरक्षाकर्मियों को वापस भिजवाने के साथ ही श्रीलंका की क्रिकेट टीम के तमिलनाडु में मैंच खेलने पर पाबंदी भी लगा दी। पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होता है। काफी समय

पहले मारकस फ्रांडा ने पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवियों के बारे में यह तथ्य स्थापित करने की कोशिश की थी कि कैसे वहां के लोग पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं पर हो रहे उत्पीड़न और सांप्रदायिक भेदभाव से आंखें चुराते हैं।[51] उदाहरण के रूप में अमर्त्य सेन जैसे महान विद्वान से यह सवाल पूछा जा सकता है जिनके पूर्वजों की जड़ें ढाका में रही हैं और जो नियमित रूप से बांग्लादेश की यात्रा भी करते हैं, कि वह बांग्लादेश के हिन्दुओं पर होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चुप्पी क्यों साध जाते हैं। जबकि वे दूसरे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं? इसी तरह का सवाल पश्चिम बंगाल के दूसरे बुद्धिजीवी और राजनीतिक तबकों के नेताओं से भी किया जा सकता है। भारत के बौद्धिक तबके के लिए जिहाद समर्थक प्रगतिशील छवि एक अनिवार्य जरूरत बन गई है। इस मामले में राजनीतिज्ञों की स्थिति इससे भी बदतर है।

क्योंकि भारत के राजनीतिक वर्ग की धर्मनिरपेक्षता संबंधी समझ काफी उलझन भरी है और जहां एक सांप्रदायिक वोट बैंक की नीति से राजनीति का संचालन होता है, जिनके लिए फिलीस्तीन की स्थितियों को समर्थन देना ज्यादा जरूरी माना जाता है उनके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दुओं का समर्थन करना एक तरह का राजनीतिक निषेध है, भारतीय राजनीति के इस परिदृश्य के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिन्दू भारत से वांछित कानूनी और नैतिक समर्थन से वंचित रह जाते हैं।[52]

जो लोग आज भी यह मानते हैं कि 1940 तक जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे, उनलोगों ने अतीत के ऐतिहासिक अध्ययन और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को कूच कर गए हिन्दू, सिख, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों के भाग्य के साथ ही भारत मे रंह रहे हिन्दुओं के भाग्य दोनों के साथ ही अन्याय किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पाकिस्तान/बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा हमेशा ही राज्य प्रायोजित रही है। बांग्लादेश में हिन्दू और अन्य अल्पसंख्यकों का भाग्य दो बातों पर निर्भर करता है। एक पेनइस्लामिक तत्वों और धर्मनिरपेक्ष सिविल सोसायटी के बीच होने वाले रक्त रंजित द्वंद्व का परिणाम क्या हो? क्योंकि वहां की धर्मनिरपेक्ष सिविल सोसायटी का आधार उनको विरासत में मिली उनकी बंगाली पहचान है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की जनता और सरकार दोनों ने ही, और खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। भारत के इस योगदान के चलते वहां हिन्दू बौद्ध और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ ही बांग्लादेश को एक सभ्य, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी बहुत बड़ी मदद मिली थी। यही नहीं इसके बावजूद भारत की जनता और राजनीतिक वर्ग ने अपने अल्पकालिक हितों की पूर्ति के लिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों की अनदेखी करना शुरू कर दिया। ऐसा करके ये लोग अपने आप को निकट भविष्य में पुरातन पंथी शक्तियों का शिकार बनाते जा रहे हैं।

यदि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक वर्ग सीमा पार के हिन्दुओं की प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति इसी तरह उदासीन बना रहा, जिससे कभी उनका भी संबंध रहा था तो फिर भारत सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो अपने राजनीतिक हितों के लिए पूरी तरह सांप्रदायिक मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर है। लिहाजा ऐसी परिस्थितियों में सरकार से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह बांग्लादेश के अभागे हिन्दुओं के लिए कुछ करने की सोचे। हम समुदाय की बर्बादी की कहानी का अंत एक दूसरे उदाहरण से भी कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के तथाकथित भद्रलोक बुद्धिजीवी सीमा पार होने वाली इन रक्त रंजित घटनाओं की ओर से कैसे अपनी आंखें फेर सकते हैं। उदाहरण के रूप में बड़े पैमाने पर वितरीत की जाने वाली पत्रिका देश के एक लेख का हवाला दिया जा सकता है। इस लेख में ढाका के आंदोलन के बारे में लिखा गया है लेकिन वहां के हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में एक शब्द भी दो में से किसी भी एक लेख में नहीं किया गया है। "ई एक नोतुन एकुशे फरवरी" और "जॉय बंग्ला सहबाग गोणोजागरण"[53] शीर्षक इन दोनों लेखों में हिन्दुओं की त्रासदी पर कुछ नहीं लिखा गया है। ऐसे अनेक भारतीयों की तरह यह भी पेनइस्लामिक ताकतों की निगाहों में भले बने रहना चाहते हैं। यही नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता है और यही उत्तम है।

किसी समय भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण और उपनिवेश विरोधी आंदोलन का सक्रिय हिस्सा रही इस मानवजाति की त्रासदी को लेकर कुछ करने का यही सही वक्त है। लेकिन विभाजन के लिए यह आज भी हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे दूसरे कोई और मानवता का तकाजा यही है और यही भारत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस पवित्र कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम उनका जीवन बचाएं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा और सम्मान शांति, स्थिरता और सांप्रदायिक सदभाव के लिए सबसे अधिक जरूरी है। इस पूरे क्षेत्र को इसी सदभाव की जरूरत है।

मैं जैसे ही अपनी यह कहानी पूरी करने जा रहा था, उसी समय ढाका से बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मीजानुर रहमान का एक बयान सामने आया। जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश में असुरक्षित माहौल में रहने वाले हिन्दुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने अपर्याप्त कदम उठाए हैं।[54]

पाद टिप्पणी और संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पूर्वी बंगाल (बाद में पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश) में हिन्दुओं के उत्पीड़न की कहानियां मानव सभ्यता के इतिहास में एक दर्दनाक हादसे का गवाह है। दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे वह आस्ट्रेलिया के मूल जातियों की समस्या हो या फिर मलेशिया के ओरांग जनजाति का मामला हो या फिर किसी और हमवतन आदिवासी का मामला हो, बांग्लादेश के हिन्दुओं, बौद्ध और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति सबसे बदतर मानी जाती है। सब्यसाची घोष दस्तीदार की पुस्तक 'एमपायर्स लास्ट कैजुअल्टी' की समीक्षा करते हुए शारदेन्दु मुखर्जी ने इन तथ्यों को उजागर किया है। 5 सितंबर, 2011 के संडे पायोनियर में श्री मुखर्जी ने 'इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स वेनिशिंग हिन्दू एंड अदर माइनोरिटीज' शीर्षक से यह समीक्षा की थी।

2. शारदेन्दु मुखर्जी, इंडियन एक्सपेरियंस विद फोर्स माइग्रेशन; इट्स लेशन्स एंड लिमिटेशन्स, शारदेन्दु मुखर्जी 'जेनेरस ऑर हेपलेस होस्ट' हिन्दुस्तान टाइम्स, 13 अक्टूबर, 1996, 'ट्रेजेडी इन द चिटगौंग हिल ट्रैक्स 1947-1998' (दिल्ली, 2000)

3. ब्रिटिश हाइकमिश्नर टू डोमिनियन ऑफिस, लंदन, 5 मई, 1948। फाइल नम्बर डी.ओ./142/345 (पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस, लंदन), शारदेन्दु मुखर्जी, 'एक्सोडस ऑफ हिन्दुज एंड अदर माइनोरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश; इंडियन प्रेडिकमेंट एंड ट्रेजेडी ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म' जर्नल ऑफ द थर्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्टिशन। डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट कांफ्रेंस; पार्टिशन; पास्ट एंड प्रेजेंट, न्यूयॉक, 13 अक्टूबर, 1912, 'पाकिस्तानी हिन्दूज ऑन कुम्भ पिलग्रिमिज रिलकटेंट टू रिर्टन', द स्टेट्समैन, 4 अप्रैल, 2013

4. रखालदास बंदोपाध्याय, 'बांग्लार इतिहास, खंड-1, 11 1914, 1917, सुखमय मुखोपाध्याय, 'बांग्लाये मुस्लिम अधिकारेर आदि पोरबो, कोलकाता, 1968, जे.एन. सरकार 'बंगाल नवाब्स', असीम रॉय, 'द इस्लामिक सिंकरैटिस्टिक, ट्रेडिशन इन बंगाल', (प्रिंसटन, 1983), रफीउद्दीन अहमद, 'बंगाल मुस्लिम्स, ए क्वेस्ट फॉर आइडेनटिटी' (दिल्ली, 1981), बेली सी, 'द प्री हिस्टरी ऑफ कम्युनिलिज्म/रिलिजियस कन्फलीक्ट इन इंडिया, 1750-1820।

5. प्रसाद रंजन रॉय, 'राम मोहन रचनावली संयोगिनी; संक्षिप्त जीवन' (राममोहन मीशन, कोलकाता, 2008), आर. सी. मजुमदार, ब्रिटिश पैरामाउंट्सी एंड इंडियन रेनेशां, शारदेन्दु मुखर्जी, 'न्यू पॉलिटिक्स, न्यू कल्चर; एन एक्सप्लोरेशन इनटू द ऑरिजिन्स ऑफ द सोसियो-पोलिटिकल आइडियाज ऑफ राजा राममोहन रॉय', शारदेन्दु मुखर्जी, माई ऑन गोइंग वर्क ऑन सर्टेन डाइमेंसन ऑफ राममोहन रॉयज लाइफ एंड एचिवमेंट्स, (अप्रकाशित), डेविड कॉफ डेविड 'ब्रिटिश ऑरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रेनेशां', द डाइनेमिक्स ऑफ इंडियन मॉडर्नाइजेशन, 1773 से 1835 तक' (बरकरली, 1969), मार्शल पीटर जे. 'द ब्रिटिश डिस्कवरी ऑफ हिन्दूइज्म इन दि 18 सेंचुरी (कैम्ब्रिज, 1970) पेज 1,8

6. आर.सी. मजूमदार, 'हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया', खंड-1, 2, कोलकाता, 1961-62, 'द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कंपीटिशन एंड कोलोब्रेशन इन द लेटर 19 सेंचुरी (कैम्ब्रिज, 1971), शारदेन्दु मुखर्जी, बंगाल रिवोल्यूसनरिज़ एंड द मुस्लिम्स ऑफ बंगाल, वट वेंट रांग एंड हाउ पेज-112-126,

7. पी.एन. चोपडा, वहाबी मुवमेंट इन आर.सी. मजूमदार, खंड-1, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, मुंबई, एन कविराज, 'वहाबी एंड फराजी रिवेल्स ऑफ बंगाल, कोलकाता, 1980

8. अनील सील, अध्याय 7, 'द मुस्लिम ब्रेकवे, पेज 298-340, 'द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कंपीटिशन एंड कोलेवरेशन इन द लेटर 19 सेंचुरी (कैम्ब्रिज, 1971)

9. विपिन चंद्र पॉल, 'मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स', 1932, (पुनर्प्रकाशन, कोलकाता, 1973), सोतोर बोचोर,; आत्माजी बाणी, (युगयात्री प्रकाशक, कोलकाता, 1362), 'नेशनलिटी एंड अंपायर; ए रनिंग स्टडी ऑफ सम करेंट इंडियन प्रोब्लम्स' (ठाकेर एंड स्पींक्स, कोलकाता, शिमला, 1916), शारदेन्दु मुखर्जी, 'विपिन चंद्र पॉल एन इनड्यूरिंग लिगेसी (अप्रकाशित पत्र),

10. सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, 'ए नेशन इन मेकिंग; बिइंग द रेनेशां आफ 50 इयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ, (ऑक्सफोर्ड, 1927)

11. सर सैयद अहमद ऑन प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड स्पीचेज (संपादित 1982)

12. बनर्जी, ऑपसीट, पेज-304-305

13. जे.एच. ब्रूम फील्ड, 'द फॉरगोटन, मैजोरिटी; द बंगाल मुस्लिम्स एंड सितंबर, 1918, पेज- 196-220

14. बी.आर. नंदा, पेनइस्लामिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, दिल्ली 1989 (मिनॉल्ट गेल, द खिलाफत मुवमेंट, दिल्ली, 1982), एस दास, कम्युनल रॉयट्स इन बंगाल, 1905-1947, दिल्ली 1993, विमल प्रसाद- 'पाथ वे टू इंडियाज पार्टिशन, ए नेशन विद इन ए नेशन' (दिल्ली, 2000, खंड-2, पेज-232-233

15. सुगाता बोस-'हिज मैजेस्टीज अपोनेंट' (पैंगविन, एलेन लेन, 211), पेज-114

16. वही, पेज-54, 114

17. बी.बी. मिश्रा-'द यूनिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ इंडिया (दिल्ली, 1990) पेज-320

18. एस. आर. मेहरोत्रा-'द कांग्रेस एंड द पार्टिशन ऑफ इंडिया, पेज-206

19. सिसिर बोस-'द एसेंसियल राइटिंग्स ऑफ नेताजी सुभाषचंद्र बोस (नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कोलकाता, दिल्ली 1998), पेज-268

20. ब्रूम फील्ड, ऑपसीट, पेज-218, मिरद सी चौधरी-'दाई हैंड ग्रेट एनार्क इंडिया 1921-1952' (लंदन, 1987), पेज-825-826, सी.एच. फिलीप्स-वेन राइट, 'द पार्टिशन ऑफ इंडिया पॉलिसीज एंड पर्सपेक्टिव्स 1935-1947' (जॉर्ज एलेन एंड उनवीन, लंदन, 1970)

21. कायदे आजम पेपर्स रील-7, 7ए, 12, आई.ओ.आर.एन.ई.जी. 10778 (इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन), द डॉन, 3 दिसंबर, 1946, 4 दिसंबर, 1946, 19 दिसंबर, 1946, जमीलउद्दीन अहमद, स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ, मिस्टर जिन्ना (लाहौर, 1946, खंड-1, पेज-78), द टाइम्स (लंदन, 6 जून, 1932), द डेली एक्सप्रेस (लंदन) 8 जुलाई, 1933, आर. ट्रैवर- 'द लास्ट डेज ऑफ द राज' (माइकल जोसफ, लंदन 1989), पेज-137, 138, 139, बी.आर. नंदा-'गांधी एंड हिज क्रिटिक्स' (दिल्ली, 1985), पेज-103, जी.डी. खोसला-'इस्टर्न रेकोनिंग (दिल्ली, 1952) पेज-vii , ताराचंद-'हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मुवमेंट इन इंडिया' खंड-4, (पब्लिकेशन डिविजन, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1972), पेज-494, दिनेश सिन्हा और सी. अशोक दास गुप्ता- '1946; द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स एंड नोवाखाली

जिनोसाइड ए हिस्टोरिकल स्टडी'(कोलकाता, 2011, पेज-62-200, लियोनार्द मोसले, 'द लास्ट डेज ऑफ द राज, (वेडेन फेल्ड निकोलसन, लंदन, 1961), पेज-29, कलाउडी मार्कोविट्स, द कोलकाता राइट्स ऑफ 1946, ऑनलाइन इनसाइकलोपिडिया ऑफ मास वायलेंस, 5 नवंबर, 2007 को प्रकाशित, द डेली मेल, 17 अगस्त, 20 अगस्त, 1946

22. शारदेन्दु मुखर्जी-'सबजेक्ट्स सिटीजन्स एंड रिफ्यूजी; ट्रैजेडी इन द चिटगौंग हिल ट्रैक्ट्स 1947, 1998' (दिल्ली 2000), पेज - 32

23. प्रफुल्ल चक्रवर्ती-'द मार्जिनल मेन, पेज-24

24. वही, पेज 1

25. वही, पेज-24

26. जयंत कुमार रॉय- 'डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म ऑन ट्रायल; ए स्ट्डी ऑफ इस्ट पाकिस्तान, सिमला, 1968, पेज-1

27. ताया जिन्कीन- इंडिया, लंदन, 1965, पेज-132

28. प्रफुल्ल चक्रवर्ती- 'द मार्जिनल मेन, पेज-2

29. काली प्रसाद मुखोपाध्याय-पार्टिशन बंगाल एंड आफ्टर (कोलकाता, 2007)

30. बीडी ग्राहम- 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एंड दि कम्युनलिस्ट अल्टरनेटिव'

31. शारदेन्दु मुखर्जी- 'कश्मीर माइग्रेन्टस आर रिफ्यूजीज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 दिसंबर, 1994

32. डी.ए. लो-सुराउंडिंग्स इन मॉडर्न साउथ एशिया हिस्ट्री (लंदन, 1968), द प्रोलोंग्ड पार्टिशन एंड इट्स प्रोग्राम्स; 'टेस्टीमोनीज ऑन वायोलेंस अगेंस्ट हिन्दूज इन इस्ट बंगाल, 1946 टू 1964', (दिल्ली, 2000), पेज- 54-177, नेहरू-लियाकत समझौता (देखें अनुलग्नक-1)

33. शारदेन्दु मुखर्जी- 'ब्लेम द पाकिस्तान अपोलोजिस्ट्स 26 जून, 1992' द पायोनियर, 18 सितंबर 1992, 'देयर इज मोर टू ढाका देन वाटर' द इंडियन एक्सप्रेस, 11 दिसंबर, 1996

34. पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्रिमंडल से जे.एन. मंडल के त्यागपत्र का मजमून (देखें परिशिष्ट-II)

35. एस.के. भट्टाचार्य- 'जेनोसाइड इन इस्ट पाकिस्तान'/बांग्लादेश (ह्यूस्टन 1987) पेज-89-115), फादर रिचर्ड जे. नोवाक' http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~madvintner/NovakRichard.htm

36. देखें सारांश-'वेस्टेड ऑर एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट, एंड द माइनोरिटी इन बांग्लादेश

37. शारदेन्दु मुखजी- 'एक्सप्रोपिरयेशन ऑफ हिन्दू प्रॉपर्टी', पायोनियर, 2 मई, 1995

38. अब्दुल बरकत-'पॉलिटिकल इकोनोमी ऑफ फंडा मेंटलिज्म इन बांग्लादेश', पेज-33-54, मेनस्ट्रीम, खंड-LI सं. 14, नई दिल्ली, 23 मार्च, 2013

39. अब्दुल बरकत, एन. इंक्वायरी इनटू काउसेस एंड कौंसक्वैंसेस ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ हिन्दू माइनोरिटीज इन बांग्लादेश थ्रू द वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, फ्रेम वर्क फॉर ए रियलिस्टिक सॉल्यूसन, ढाका, 2000

40. रिचर्ड एल. बेंकिन- 'ए क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लींजिंग; द मर्डर ऑफ बांग्लदेशी हिन्दूज; बियोंड बिलिव; वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट', पेज 167-192, दिल्ली 2012

41. यतीन्द्र भटनागर- बांग्लादेश-बर्थ ऑफ ए नेशन, दिल्ली, 1971, कोलकाता/दिल्ली 1971, अनिरूद्ध गुप्ता- 'फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल', पेज-45-84; आर. नारायणन- 'अमेरिकन एक्सपेरियंस' पेज-133-167, ए. गुप्ता- बांग्लादेश-'ए स्ट्रगल फॉर नेशन हुड 1971

42. हिरण्यमय कारलेकर-'ब्रूट्स एंड सैवेवेज डिजर्व डेथ', पायोनियर, 23 मार्च, 2013

43. शारदेन्दु मुखर्जी-'पाकिस्तान मस्ट अपोलोजाइज फॉर वार क्राइम्स' द पायोनियर, 22 सितंबर, 1995

44. शारदेन्दु मुखर्जी कार्डिफ पेपर, ऑपसीट

45. ड्रिजेन भट्टाचार्य/ सितांशु गुहा-'बांग्लादेश; ए कवर्ट ऑफ जेनोसाइड, चौथा संस्करण, बांग्लादेश हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल न्यूयॉर्क, 2004, हिन्दू इन साउथ एशिया एंड द डायसपोरा; ए सर्वे ऑफ ह्यूमन राइट्स 2009 (हिन्दू अमेरिकन फाउंडेशन, 21 मार्च, 2010, पेज-13-14, ए.जे. कामरा-'बांग्लादेश ए वास्ट कंसंट्रैशन कैंप फॉर हिन्दूज, नई दिल्ली, 1996, शारदेन्दु मुखर्जी-'जेनोसाइड ऑफ हिन्दूज मस्ट स्टॉक' द पायोनियर, 27 दिसंबर 1991, पुट ढाका इन इट्स प्लेस, द टेलिग्राफ, 12 जून, 1992, 'माइनोरिटीज ऑफ बांग्लादेश' द टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 नवंबर, 1994

46. 'वेब ऑफ वायोलेंट अटैक्स अगेंस्ट हिन्दू माइनोरिटी इन बांग्लादेश' अमनेस्टी इंटरनेशनल की 6 मार्च, 2013 की प्रेस विज्ञप्ति

47. आमरादेश, 10 मार्च, 2013, संघवाद, 11 मार्च, 2013, दैनिक साम्य प्रसंग, 29 मार्च, 2013

48. सईद बदरूल एहसान-द इंडियन एक्सप्रेस, 15 मार्च, 2013

49. मानस घोष- 'बिहाइंड बीएनपी-जमात्स ऑन सलाउट्स ऑन दि सहबाग मुवमेंट, मेन स्ट्रीम, 22-28 मार्च, 2013

50. वही

51. मारकस फ्रांडा-'मार्जिनल' पेज- 25, 'रेडिकल पॉलिटिक्स इन वेस्ट बंगाल, पेज-38

52. जवाहरलाल नेहरू, एन. अउटोबायोग्राफी; विद म्युसिंग्स ऑन रिसेंट इवेंट्स इन इंडिया, मुंबई, 1966, संस्करण, पेज-163

53. देश (बंगाली पत्रिका), 17 मार्च, 2013, अभिजीत दासगुप्ता एवं शेखर बंदोपाध्याय (संपादित)-'माइनोरिटीज एंड द स्टेट; चेंजिंग सोसल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बंगाल (दिल्ली, 2011), शारदेन्दु मुखर्जी ने 8 अप्रैल, 1912 के द संडे पायोनियर में इसकी समीक्षा की।

54. द स्टेट्समैन, (नई दिल्ली संस्करण), 1 अप्रैल, 2013

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकार के संबंध में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच (नेहरू-लियाकत) समझौता

नई दिल्ली,
8 अप्रैल, 1950

(A) भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सहमति व्यक्त करती हैं। ये नागरिक चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों उनके जीवन, संस्कृति, संपत्ति और व्यक्तिगत सम्मान की सुरक्षा करने के साथ ही उनको देश के किसी भी क्षेत्र में घुमने की, कोई भी काम करने की, बोलने की और अपने धर्म के मुताबिक पूजा करने की आजादी होगी, बशर्ते यह सब काम कानून और नैतिकता की सीमाओं में रहकर किए जा रहे हों। सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बहुसंख्यक समुदायों के सामान अपने देश में सार्वजनिक जीवन के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होगी, अल्पसंख्यक भी किसी राजनीतिक या दूसरे पद पर रहते हुए अपने देश की सेवा कर सकेंगे, यही नहीं ये लोग नागरिक और सशस्त्र सेनाओं में रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं।

दोनों ही सरकारें यह घोषणा करती हैं कि ये अधिकार बुनियादी अधिकारों के रूप में माने जाएंगे और इनका सख्ती से पालन किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने सहमति पत्र पर दस्तखत करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि अल्पसंख्यकों को मिलने वाले तमाम अधिकारों को देश के संविधान में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस ओर इशारा किया कि पाकिस्तान की संविधान सभा ने अपने उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव में इन सभी अधिकारों को शामिल करने के प्रावधान बना दिए हैं। दोनों देशों की सरकारों ने एक नीति के तहत इन सभी अधिकारों को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रों के सभी नागरिकों को उपलब्ध बनाने की बात भी कही। दोनों ही सरकारें यह चाहती हैं कि वहां रहने वाले अल्पसंख्यक उन देशों के प्रति निष्ठावान बनें जिन देशों के वे नागरिक हैं और इन सरकारों का दायित्व बनता है कि वे उनलोगों की समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर बनें।

(B) जहां तक पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा के विस्थापितों का सवाल है जहां हाल ही में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, दोनों देशों की सरकारों के बीच इस बात पर सहमति है :

(i) कि ट्रांजिट के दौरान इनको घूमने की आजादी होगी और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(ii) कि विस्थापित अपने साथ अपनी व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से जितना भी सामान चल संपत्ति के रूप में ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। चल संपत्ति में व्यक्तिगत गहने शामिल हैं। विस्थापित नागरिक अपने साथ प्रति व्यस्क व्यक्ति 150 रुपए और प्रति अव्यस्क व्यक्ति 75 रूपए ले जा सकते हैं।

(iii) कि विस्थापित अपने व्यक्तिगत गहने और नकदी जिसे वह अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, बैंक में जमा कर सकते हैं जिसकी एक रशीद उन्हें बैंक द्वारा दी जाएगी और उनको यह सुविधा भी दी जाएगी कि जरूरत पड़ने पर वह इसे वापस ले सकते हैं या यह संपत्ति उनके नाम ट्रांसफर की जा सकती है, यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में वहां की सरकार उस समय मुद्रा विनिमय की क्या राशि निर्धारित करती है।

(iv) कि कस्टम अधिकारी किसी भी विस्थापित नागरिक को परेशान नहीं करेंगे। दोनों सरकारों की सहमति से निर्धारित किए गए कस्टम केंद्रों में दोनों ही देशों के सुविधा अधिकारी तैनात होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं है।

(v) कि देश छोड़कर जाने वाले विस्थापितों को उनकी अचल संपत्ति के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जाएगा।

अगर उसकी अनुपस्थिति में ऐसी कोई अचल संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो जाता है तो वह संपत्ति उस व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। बशर्ते वह 31 दिसंबर, 1950 से पहले अपने देश वापस लौट जाए। जहां कहीं भी विस्थापित खेत का मालिक या किराएदार हो, वह जमीन उसे उस स्थिति में वापस मिल सकती है कि वह 31 दिसंबर 1950 से पहले वापस आ जाए। अपवादस्वरूप कुछ मामलों में यदि कोई एक सरकार यह समझती है कि विस्थापित की अचल संपत्ति उसे वापस न दी जाए, तब ऐसा मामला उपयुक्त अल्पसंख्यक आयोग के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। जहां विस्थापित के निश्चित अवधि में वापस आने के बावजूद उसकी अचल संपत्ति उसे वापस नहीं दी जा सकती हो तब ऐसी स्थिति में सरकार उसे पुनर्वास करने के दूसरे उपायों पर विचार करेगी।

(vi) कि ऐसे मामलों में जब कोई विस्थापित यह तय कर ले कि उसे वापस नहीं आना है तो भी उसकी पूरी अचल संपत्ति का स्वामित्व उसी के पास रहेगा और उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी संपत्ति को बेचकर या आदान-प्रदान कर या और किसी तरीके से उसका स्वामित्व तय कर सकता है। ऐसी अचल संपत्तियों की देखभाल के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसके तीन प्रतिनिधि अल्पसंख्यक

समुदाय से होंगे और इसकी अध्यक्षता सरकार के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। यह कमेटी संपत्ति के स्वामी की ट्रस्टी होगी। कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी अचल संपत्तियों का नियमानुसार किराया वसूल कर सके। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा की सरकारें अपने-अपने राज्यों में ऐसी कमेटियों के गठन के लिए विधान तैयार करवाएंगे। प्रांतीय राज्य सरकार जो भी हो, वह जिला या दूसरे प्रशासनिक तंत्र को यह हिदायतें देंगी कि वह कमेटियों के कार्यसंचालन में उनकी हर संभव मदद करें। इस उपपाराग्राफ के प्रावधान उन विस्थापितों पर भी लागू होंगे जिन्होंने भारत के किसी हिस्से में रहने के लिए पूर्वी बंगाल छोड़ दिया या फिर पश्चिम बंगाल, असम या त्रिपुरा को छोड़कर पाकिस्तान के किसी हिससे में बस गए विस्थापितों पर भी यह प्रावधान लागू होंगे। यह प्रावधान 15 अगस्त, 1947 के बाद की स्थितियों में उनलोगों पर भी लागू होंगे जो बिहार छोड़कर पूर्वी बंगाल चले गए।

(C) जहां तक पूर्वी बंगाल प्रांत और पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों का सवाल है दोनों सरकारें आगे भी इन बातों पर सहमति व्यक्त करती हैं।

(1) स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए अपने प्रयास निरंतर जारी रखेंगी और अव्यवस्था को रोकने के पुख्ता इंतजाम करेंगी।

(2) व्यक्तियों और संपत्तियों के खिलाफ अपराध करने का दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंडित करेंगी तथा दूसरे प्रभावों को कम करने के लिए आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगी। जहां तक संभव होगा दोनों ही क्षेत्रों में विशेष अदालतों का गठन करेंगे। जहां यह सुनिश्चित किया जा सके कि गलत काम करने वाले लोगों को माफ नहीं किया जाएगा।

(3) हर संभव कोशिश की जाएगी कि लूट ली गई संपत्ति को वापस दिलाया जाए।

(4) जबरन अपहृत की गई महिलाओं की वापसी सुरक्षित करने और जबरन धर्मांतरण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत ही एक एजेंसी का गठन किया जाए। जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व हो। सांप्रदायिक दंगों के दौरान किए गए किसी भी धर्मांतरण को जबरन धर्मांतरण माना जाए। लोगों का जबरन धर्मांतरण कराने वाले लोगों को दंडित किया जाए।

(5) हाल में ही हुए दंगों की जांच के लिए तुरंत एक ऐसे आयोग का गठन किया जाए जो ऐसे मामलों की रोकथाम के उपायों का सुझाव देने के साथ ही भविष्य में हो सकने वाले ऐसे हादसों की रोकथाम के उपाय सुझा सकें। ऐसे आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश करेंगे। आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो अल्पसंख्यकों के बीच परस्पर विश्वास स्थापित कर सके।

(6) अफवाह और गलत समाचार फैलाने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में सांप्रदायिक दंगे न फैल सके और प्रेस या रेडियो या किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन की तरफ से भविष्य में अफवाह न फैलाई जा सके। इस तरह की गलतियां करने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए।

(7) किसी देश के खिलाफ उसकी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला किसी भी ऐसे मिथ्या प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के संभावित युद्ध का कारण बन सके। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई कर प्रभावशाली कदम उठाने की जरूरत है चाहे वह कोई व्यक्ति हो या संगठन।

(D) बिन्दु सी के उपपाराग्राफ (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8) भारत पाकिस्तान समझौते के संदर्भ में सामान्य प्रकृति के हैं और ये सभी प्रस्ताव भारत या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की तात्कालिक जरूरत के हिसाब से लागू किए जा सकते हैं।

(E) अपना घर बार छोड़कर बाहर जाने वाले शरणार्थियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए ताकि वे अपने घरों को वापस लौट सकें, दोनों सरकारों ने यह सुनिश्चित किया

(1) दोनों ही सरकारें अपने-अपने एक मंत्री की उस समय तक जब तक जरूरी हो प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती करे।

(2) पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम की कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। असम की कैबिनेट में अल्पसंख्यकों को पहले ही प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल की सरकारें अपनी-अपनी कैबिनेट में शीघ्र ही अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देंगी।

(F) समझौते की मूलभावना को उसके सही संदर्भ में लागू करने के उद्देश्य से दोनों सरकारों ने बिन्दु ई में इंगित मंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही यह फैसला भी लिया कि पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम में अल्पसंख्यक आयोगों का गठन भी किया जाए। ये आयोग नीचे लिखे विवरण के अनुरूप अपने-अपने राज्यों में कार्य संचालन करेंगे।

(I) प्रत्येक आयोग में उस राज्य या प्रांत का एक मंत्री होगा जो उस राज्य के आयोग का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम तीनों राज्यों के एक-एक अल्पसंख्यक और

एक-एक बहुसंख्यक प्रतिनिधियों को आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। विभिन्न राज्यों से आयोग के लिए चुने जाने वाले सदस्यों का चयन उन राज्यों या प्रांतों की विधानसभाएं करेंगी।

(ii) भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के दो मंत्री किसी भी आयोग की किसी भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। आयोग के काम का संचालन सही तरीके से हो इसका निर्धारण करने के लिए कभी भी किसी केंद्रीय मंत्री के चाहने पर किसी एक अल्पसंख्यक आयोग या दो अल्पसंख्यक आयोगों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है ताकि समझौते की भावना को संतोषजनक तरीके से लागू किया जा सके।

(iii) सभी आयोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं।

(iv) प्रत्येक आयोग अपने राज्य के अधिकार क्षेत्र वाले जिलों के अल्पसंख्यकों से संपर्क में रहेगा। इसके अलावा सभी आयोग निचले स्तर की प्रशासनिक ईकाईयों की अल्पसंख्यक परिषदों से भी निरंतर संपर्क में रहेंगे।

(v) पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के अल्पसंख्यक आयोग दिसंबर 1948 में अंतर औपनिवेशिक समझौते के तहत स्थापित अल्पसंख्यक परिषदों का स्थान लेंगे।

(vi) केंद्र सरकार के दो मंत्री समय-समय पर ऐसे दो लोगों या संगठनों से संपर्क करेंगे जो समय की जरूरत के मुताबिक उपयुक्त लगें।

(vii) अल्पसंख्यक आयोग का कार्य संचालन इस प्रकार होगा :

(a) इस समझौते की भावना को लागू करने की रिपोर्ट तैयार करने और इस कार्य के लिए उपयुक्त तथ्यों का संज्ञान लेने के संदर्भ में।

(b) अपनी सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए सुझाव देने के संदर्भ में।

(viii) जब कभी जरूरत हो हर कमीशन को अपनी काम की रिपोर्ट संबंधित प्रांतीय और राज्य सरकारों को देनी होगी। इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि उन केंद्रीय मंत्रियों को भी देनी होगी जिनकी ओर बिन्दू ई में इशारा किया गया है।

(ix) भारत और पाकिस्तान के साथ ही राज्य और प्रांतीय सरकारें आयोगों की उन रिपोर्ट्स पर प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए बाध्य होंगी जिन पर केंद्र के दोनों मंत्रियों की हामी होगी। केंद्र

के दो मंत्रियों के बीच में असहमति होने पर यह मामला भारत और पाकिस्तान की प्रधानमंत्रियों के पास भेजा जाएगा। जो या तो अपने स्तर पर इसका समाधान कर देंगे या फिर किसी ऐसी एजेंसी का निर्धारण कर देंगे जो समस्या का हल खोज सके।

(x) त्रिपुरा के संदर्भ में दो केंद्रीय मंत्री एक आयोग का गठन करेंगे और इस आयोग के पदाधिकारी के रूप में इस तरह काम करेंगे जैसी व्यवस्था पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के अल्पसंख्यक आयोगों के संदर्भ में बनाई गई है। ई बिन्दु में प्रस्तावित समयावधि के समाप्त होने से पहले दोनों केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा में आयोग का गठन करने के लिए ऐसी मशीनरी की नियुक्ति करेंगे जो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के अल्पसंख्यक आयोगों की तर्ज में त्रिपुरा के अल्पसंख्यक आयोग का कार्य संचालन कर सके।

(G) इस समझौते के तहत जिन प्रावधानों को बदल दिया गया है उनके अलावा दिसंबर 1948 में लागू किए गए अंतर औपनिवेशिक समझौते के और सारे प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

दलित हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिकार : पाकिस्तान के प्रथम कानून और श्रम मंत्री जे. एन. मंडल का त्यागपत्र

श्री जे.एन. मंडल
कानून और श्रम मंत्री
पाकिस्तान सरकार
8 अक्टूबर, 1950

प्रिय प्रधानमंत्री महोदय,

बड़े भारी मन और पूर्वी बंगाल के पिछड़े हिन्दुओं का कल्याण करने के अपने दीर्घकालीन मिशन में असफल होने पर कुंठाग्रस्त होने की स्थिति में मैं आपकी कैबिनेट से अपना इस्तीफा देने को विवश हो रहा हूं। यहां मेरे लिए यह जरूरी हो जाता है कि मैं उन कारणों की विस्तार से चर्चा करूं जिनके चलते मैं भारत और पाकिस्तान के उपमहाद्वीप के इस हलचल भरे और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण में अपना इस्तीफा देने को मजबूर हुआ हूं।

(1) इससे पहले कि मैं अपने इस्तीफे के दूरगामी और तात्कालिक कारणों की चर्चा करूं, मेरे लिए यह जरूरी होगा कि मैं आपके सामने उस पृष्ठभूमि को रखूं जिसके चलते मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने के दौरान मैं फरवरी 1943 में बंगाल के प्रमुख लीगी नेताओं के संपर्क में आया था और उनके साथ मैंने बंगाल विधानसभा में काम करने पर सहमति जताई थी। मार्च 1943 में फजलुल हक सरकार के गिर जाने के बाद मैंने अनुसूचित जाति के 21 विधायकों की पार्टी के साथ ख्वाजा नाजीमुद्दीन को सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी जो तब मुस्लिम लीग संसदीय पार्टी के नेता थे और जिन्होंने अप्रैल 1943 में सरकार का गठन किया था। कुछ मामलों में हमारा सहयोग सशर्त था। शर्त यह थी कि अनुसूचित जाति के तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए सलाना पांच लाख रुपए की स्वीकृति की जाए तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए सांप्रदायिक अनुपात को ध्यान में न रखा जाए।

वजह से हुई हिन्दुओं की दयनीय और कारूणिक हालत देखकर मुझे बहुत दु:ख हुआ मगर फिर भी मैंने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने की अपनी नीति जारी रखी। कोलकाता नरसंहार के तुरंत बाद सोहरावर्दी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मेरे ही प्रयासों के चलते सोहरावर्दी सरकार को चार एंग्लो इंडियन सदस्यों का और चार अनुसूचित जाति के सदस्यों का समर्थन मिल पाया था। अगर ऐसा न होता तो सोहरावर्दी सरकार गिर जाती।

(4) अक्टूबर, 1946 में अचानक सोहरावर्दी के माध्यम से मेरे पास भारत की अंतरिम सरकार में एक सीट पाने का प्रस्ताव आया था। कई तरह की हिचकिचाहट के बाद जब मुझे अपना फैसला देने के लिए एक घंटे का समय दिया गया तो मैंने इस शर्त पर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि अगर मेरे नेता डॉ. बी. आर. अंबेडकर मेरे कामों से असंतुष्ट हों तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं। संयोग से मुझे उनकी स्वीकृति का एक तार लंदन से मिल गया। इससे पहले कि मैं कानून मंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान करूं तब मैंने बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सोहरावर्दी को इस बात के लिए मनाया कि वे मेरे स्थान पर अनुसूचित जाति के दो मंत्रियों को जगह दें और शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ग्रुप के दो सदस्यों की संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति करें।

(5) 1 नवंबर, 1946 को मैंने अंतरिम सरकार में जिम्मेदारी संभाली। इसके एक महीने के बाद जब मैं कोलकाता आया तब श्री सोहरावर्दी ने पूर्वी बंगाल के कुछ इलाकों विशेषकर गोपालगंज सबडिविजन के कुछ इलाकों में फैले सांप्रदायिक तनाव की जानकारी दी जहां नमो शूद्र बहुतायत में हैं। उन्होंने मुझसे उन इलाकों का दौरा करने को कहा और मुस्लिम और नमो शुद्रों की कुछ बैठकों को संबोधित करने का अनुरोध भी किया। वास्तव में इन इलाकों में नमो शूद्रों ने पलटवार करने की तैयारियां कर ली थीं। मैंने लगभग ऐसी एक दर्जन सभाओं को संबोधित किया जिसका नतीजा यह निकला कि नमो शूद्रों ने पलटवार करने का इरादा छोड़ दिया और इस तरह एक खतरनाक सांप्रदायिक दंगा होने से बच गया।

(6) कुछ महीनों के बाद 3 जून, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने अपना एक बयान देकर भारत के विभाजन के प्रस्ताव की रूपरेखा सामने रखी। पूरा देश खासकर गैरमुस्लिम भारत इससे स्तब्ध रह गया। सच तो यह है कि शुरू से ही मैंने मुस्लिम लीग की विभाजन की मांग का स्वागत ही किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मोलभाव कर इससे कुछ लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि मैं ईमानदारी से यह महसूस करता था कि भारत में सवर्ण हिन्दू राष्ट्रवाद के संदर्भ में मुसलमानों की परेशानियां स्वाभाविक रूप से जायज हैं, फिर भी मैं यह मानता था कि पाकिस्तान बनने से सांप्रदायिक समस्याओं का हल नहीं

(2) इन शर्तों के अलावा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करने के पीछे मेरा एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि बंगाल की परिस्थितियों में मुस्लिम वर्ग के आर्थिक हित बहुत कुछ वैसे ही थे जैसे अनुसूचित जाति के। ज्यादातर मुस्लिम किसान और मजदूर थे, यही स्थिति अनुसूचित जाति की भी थी। मुस्लिम का एक वर्ग मछुआरा था तो अनुसूचित जाति का भी एक वर्ग यही काम करता था। यही नहीं दूसरी वजह यह भी थी कि अनुसूचित जाति और मुस्लिम तबके दोनों ही शैक्षिक रूप से पिछड़े थे। मुझे यह भरोसा था कि लीग और उसके मंत्रिमंडल के साथ सहयोग कर मैं इन तबकों के विधाई और प्रशासनिक विकास की दिशा तय करने में सफल रहूंगा और इस तरह मैं बंगाल की आबादी के एक बहुत बड़े तबके के हितों और विशेषाधिकारों का सम्मान कर सकूंगा जो बाद में कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द्र और शांति का वातावरण तैयार करेंगे। यहां गौरतलब यह भी है कि ख्वाजा नाजीमुद्दीन ने अपने मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के तीन सदस्यों को जगह दी और इस वर्ग के मेरे समुदाय के तीन लोगों की संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति की।

सोहरावर्दी मंत्रालय

(3) मार्च 1946 में संपन्न आम चुनाव के बाद श्री एच.एस. सोहरावर्दी मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता चुने गए और अप्रैल, 1946 में उनकी सरकार का गठन हुआ। फेडरेशन के टिकट पर चुना जाने वाला मैं अनुसूचित जाति का एक मात्र सदस्य था। मुझे सोहरावर्दी की कैबिनेट में स्थान मिला। उस साल अगस्त की 16 तारीख को मुस्लिम लीग ने डाइरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। इसकी परिणति एक विनाश के रूप में हुई। हिन्दुओं ने लीग सरकार से मेरे इस्तीफे की मांग की। मेरा जीवन खतरे में था। मुझे लगातार हर रोज धमकी भरे खत मिल रहे थे। लेकिन मैं अपनी नीतियों को लेकर अविचलित होकर खड़ा रहा। यही नहीं मैंने अपने पत्र जागरण के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों तक यह संदेश भी भिजवाया कि वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच छिड़े खूनी विवाद से अपने को अलग रखे चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर इस सत्य को बड़े गर्व से रेखांकित करना चाहता हूं कि मेरे समुदाय के हिन्दू पडोसियों ने मुझे उन्मादी हिन्दुओं की भीड़ से बचाया। नोआखाली दंगों की परिणति अक्टूबर 1946 में कोलकाता के दंगों के रूप में देखी गई। जहां अनुसूचित जाति के लोगों सहित सैंकड़ों हिन्दू मारे गए और मुसलमान बनने को मजबूर हुए। हिन्दू महिलाओं का अपहरण किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। मेरे समुदाय के कई लोगों को भी जान व माल का नुकसान हुआ। इन हादसों के तुरंत बाद मैंने टिपराह और फेनी समेत कई दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इन हादसों की

खोजा जा सकता। मेरी राय में इसके विपरीत इससे घृणा और क्लेश के माहौल में वृद्धि होगी। इसके साथ ही मुझे ऐसा भी लगता रहा कि इससे पाकिस्तान में मुस्लिमों की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं आएगा। देश के विभाजन का इसके भविष्य पर दूरगामी असर पड़ेगा, यादगार तो नहीं पर इससे गरीबी, अशिक्षा और दोनों देशों के लोगों की विपन्नता की स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा। मुझे यह भी लगता रहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे पिछड़ा और अविकसित देश न बन जाए।

लाहौर प्रस्ताव

(7) मुझे यह साफ कर देना चाहिए कि मैंने यह सोचा कि ऐसा एक प्रयास किया जाना चाहिए जैसा इस वक्त किया जा रहा है कि पाकिस्तान को शरियत कानून के अनुरूप एक पूर्ण इस्लामिक देश के रूप में विकसित किया जाए। 23 मार्च, 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्ताव के मुताबिक मैं यह समझता था कि पाकिस्तान इस प्रस्ताव पर अमल करेगा। इस प्रस्ताव में कहा गया था (1) जरूरत के मुताबिक भौगोलिक क्षेत्रों का अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में रेखांकन किया जाए। उनमें ऐसे क्षेत्रिय संतुलन स्थापित किए जाएं कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो उनको अलग कर दिया जाए। जैसे भारत के उत्तरी पश्चिमी और पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं। भौगोलिक आधार पर चिन्हित किए गए इन क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाए जो संवैधानिक रूप से स्वायत और सम्प्रभु हो और (2) और इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को उनकी ईकाईयों के अनुसार उनके परामर्श से उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य अधिकार सुरक्षित रखने के लिए संविधान में प्रावधान रखे जाएं। इस फॉर्मूले के तहत (ए) उत्तरी-पश्चिमी और पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रों को दो राज्यों के रूप में संगठित कर दिया जाए (बी) इन राज्यों की संघटक ईकाईयों को स्वायत्त और सम्प्रभु बनाया जाए (सी) उनके जीवन के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाए और (डी) संविधान के प्रावधान इस तरह तैयार किए जाएं कि उनको तय करने में अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिया जाए।

इस प्रस्ताव को लेकर मैं अपनी ही विचार श्रृंखला में घिरकर रह गया और मुझे इसका सुखद अहसास तब हुआ जब 11 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सभी हिन्दुओं और मुस्लिमों को यह भरोसा दिलाते हुए कहा था कि वे सब एक जैसे हैं चाहे उनका रिश्ता किसी भी धर्म, क्षेत्र या जाति से क्यों न हो। तब कहीं से भी जाति के आधार पर लोगों के विभाजन का कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता था। ऐसे में इस्लामी राज्य के नियंत्रण में धर्म के

आधार पर लोगों के साथ भेदभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है सांप्रदायिक सदभाव को बनाए रखने के लिए ली गई इस कसम का कमोबेश सभी ने अपने-अपने ज्ञान और जरूरत के मुताबिक उल्लंघन ही किया और इस तरह कायदे आजम की इच्छा और उनकी भावनाओं का तिरस्कार कर अल्पसंख्यकों का मजाक ही उड़ाया।

बंगाल का विभाजन

(8) इस संदर्भ में ध्यान देने लायक तथ्य यह भी है कि मैं बंगाल के विभाजन के खिलाफ था। अपने इस अभियान में मुझे न केवल व्यापक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा बल्कि सभी तबकों की ओर से न बोले जाने वाली गालियों से अपमानित भी होना पड़ा और मैंने अपने आत्मसम्मान को नुकसान भी पहुंचाया। बड़े दुख के साथ मैं उन दिनों की याद करता हूं जब 32 करोड़ हिन्दुओं ने मेरी इस विचारधारा का विरोध किया था, पर मैं पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा से डिगा नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पाकिस्तान के 70 लाख अनुसूचित जाति के लोगों ने मेरी अपील का स्वागत किया। उन्होंने मुझे अपना पूरा सहयोग, सहानुभूति और हौसला दिया।

(9) 14 अगस्त, 1947 को पंजाब की स्थापना के बाद आपने अपनी कैबिनेट का गठन किया था। जिसमें मुझे भी शामिल किया गया था और ख्वाजा नाजीमुद्दीन ने पूर्वी बंगाल में एक अस्थाई कैबिनेट का गठन किया था। 10 अगस्त को मैंने कराची में ख्वाजा नाजीमुद्दीन से बात की थी और यह अनुरोध किया था कि पूर्वी बंगाल की कैबिनेट में अनुसूचित जाति के दो लोगों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने तब बाद में ऐसा करने का आश्वासन दिया था।

इस बीच इस बारे में आपके साथ ख्वाजा नाजीमुद्दीन के साथ और पूर्वी बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री नुरूल अमीन के साथ मेरी जो भी बातचीत हुई वह काफी तकलीफदेह और परेशान करनेवाली रही। जब मुझे यह अहसास हुआ कि ख्वाजा नाजीमुद्दीन किसी न किसी बहाने इस मामले को टालना चाह रहे हैं तब मैं पूरी तरह अधीर और बेचैन हो गया, इसके बाद मैंने इस मसले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और इसकी बंगाल शाखा के अध्यक्ष से भी चर्चा की। आखिर में मैंने यह मामला आपके सामने रखा। आपने अपने निवास स्थान में ख्वाजा नाजीमुद्दीन की उपस्थिति में इस मसले पर बात करने की खुशी जाहिर की। ख्वाजा नाजीमुद्दीन ने यह स्वीकृति दी कि वह ढाका पहुंचने पर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह देंगे। जैसा कि मैं पहले भी ख्वाजा नाजीमुद्दीन के आश्वासनों से तंग आ चुका था, मैं चाहता था कि इस बारे में कोई निश्चित समय तय किया जाए। मैंने इस बात पर जोर दिया कि

वे इस मामले में एक महीने के अंदर कोई फैसला लें, ऐसा न होने पर मुझे इस्तीफा देने का पूरा अधिकार होगा। आप और ख्वाजा नाजीमुद्दीन दोनों ने ही इस शर्त को स्वीकार किया था पर शायद आप यह नहीं समझते थे कि आपने क्या कहा। ख्वाजा नाजीमुद्दीन ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। जब नुरूल अमीन पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए तब मैंने एक बार फिर इस मामले पर उनसे गुहार लगाई। उन्होंने भी इसी तरह मामले को रफा-दफा करने की चाल चली। जब एक बार फिर मैंने 1949 में यह मसला आपके सामने रखा तो आपने भी खुशी-खुशी मुझे यह आश्वासन दिया कि पूर्वी बंगाल में अनुसूचित जाति का एक मंत्री जरूर नियुक्त किया जाएगा। आपने इस बारे में विचार के लिए मुझसे दो तीन नाम भी मांगे थे। आपकी इच्छा के विपरीत मैंने आपको एक नोट भेजा जिसमें यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक फेडरेशन ग्रुप है। जिसके तीन सदस्यों के नाम भी मैने आपके विचारार्थ भेज दिए थे। इसके बाद जब मैंने इस बारे में पता लगाया तब आप ठंडे पड़ चुके थे और आपने इतना भर कहा कि नुरूल अमीन को दिल्ली से वापस आने दो। इसके कुछ दिन बाद मैंने यह मसला फिर उठाया।

हिन्दू विरोधी नीति

(10) जब बंगाल के विभाजन का सवाल उठा तब अनुसूचित जाति के लोगों को विभाजन के फलस्वरूप होने वाले खतरों का अहसास हो गया था। उनकी तरफ से बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सोहरावर्दी को एक ज्ञापन दिया गया था। इस पर श्री सोहरावर्दी ने इस तबके को आश्वासन देते हुए प्रेस के माध्यम से एक बयान जारी किया। जिसमें यह घोषणा की गई थी कि विभाजन के बाद अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार और विशेषाधिकार में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी और यह तबका न केवल मौजूदा अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपयोग करता रहेगा बल्कि इन्हें इसके कुछ अतिरिक्त फायदे भी होंगे। श्री सोहरावर्दी ने यह बयान न केवल निजी स्तर पर दिया था बल्कि लीग के एक मुख्यमंत्री की हैसियत से भी इस बयान पर उनकी सहमति थी। मेरे लिए यह अत्यंत दुखद स्थिति साबित हुई कि बंगाल के विभाजन के बाद, विशेषकर कायदे आजम के निधन के बाद अनुसूचित जाति के तबकों के साथ इस मामले में किसी तरह का न्याय नहीं हुआ। आपको याद होगा कि मैं समय-समय पर अनुसूचित जाति की तकलीफों से आपको अवगत कराता रहा। मैंने कई बार आपसे पूर्वी बंगाल के नाकारा प्रशासन के संबंध में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की थी और मैंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए थे। मैंने आपके संज्ञान में अनुसूचित जाति के तबके के खिलाफ पुलिस द्वारा झूठे अपराधों पर किए जाने वाले बर्बर अत्याचार की बातें भी रखी। मुझे आपको यह बताने में कभी किसी तरह की हिचकिचाहट

नहीं हुई कि पूर्वी बंगाल सरकार, विशेषकर वहां के पुलिस प्रशासन और मुस्लिम लीगी नेताओं के एक वर्ग ने हिन्दू विरोधी नीति चला रखी है।

कुछ प्रमुख घटनाएं

(11) पहली घटना जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया वह गोपालगंज के पास दिघारकुल नामक गांव की है जहां एक मुसलमान की फर्जी शिकायत के आधार पर स्थानीय नमो शूद्रों के खिलाफ बर्बर अत्याचार किए गए। सच्ची कहानी यह है कि एक मुस्लिम जो नाव में कहीं जा रहा था उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल नदी में फेंक दिया। एक नमो शूद्र जो उसी स्थान पर पहले से ही अपना जाल डाले बैठा था, ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई और मुस्लिम नाराज होकर पड़ोस के किसी मुस्लिम गांव में चला गया और उसने गांव वालों के सामने यह फर्जी शिकायत की कि वह और एक महिला नाव से जा रहे थे कि नमो शूद्रों ने उन पर हमला कर दिया। उस समय गोपालगंज का एसडीओ नाव से कोई नहर पार कर रहा था, उसने बिना कोई जांच किए उस मुस्लिम की शिकायत को सही मानकर दर्ज कर लिया और नमो शूद्रों को सजा देने के लिए मौके पर सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी भिजवा दी। पुलिस की इस सशस्त्र टुकड़ी ने वहां जाकर स्थानीय मुस्लिमों के सहयोग से नमो शूद्रों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उन्होंने न केवल नमो शूद्रों के घरों पर धावे बोले बल्कि वहां के कई पुरूषों और महिलाओं को बेरहमी से मारा और पीटा भी। ये लोग उनका किमती सामान भी लेकर चले गए। बेरहमी से की गई इस मारपीट का असर यह भी हुआ कि कई गर्भवती महिलाओं ने पिटाई के बाद मौके पर ही बच्चों को जन्म दे दिया। स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई इस वीभत्स कार्रवाई के चलते पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई।

(12) ऐसा ही एक दूसरा हादसा 1949 की शुरुआत में बरीसाल जिले के गोरनाडी पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ। यहां यूनियन बोर्ड के दो समूहों के बीच फसाद हुआ। इनमें से एक समूह जिसकी पुलिस के साथ मिली भगत थी ने दूसरे समूह पर हमला करने का आरोप पुलिस थाने में लगाया। गौरनाडी के ओ.सी. (प्रभारी) ने मुख्यालय से सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी बुला ली। सशस्त्र बलों के सहायता से पुलिस ने तब उस क्षेत्र के कई मकानों पर धावा बोला। उनका कीमती सामान लूट ले गए। यहां तक कि उन लोगों के घरों से भी सामान लूट लिया जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे और जिनका कभी राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी से तो इन लोगों का किसी तरह का नाता नहीं था। इस इलाके के ऐसे कई छात्र जो हाई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे और जिनको संदिग्ध कम्युनिस्ट माना जाता था उनको

जबरन परेशान किया गया। मेरे अपने गांव के काफी करीब होने के कारण इस घटना की जानकारी मुझे दी गई तब मैंने जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को पूरे मामले की जांच करने के लिए एक पत्र लिखा। स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने भी एसडीओ से पूरे मामले की जांच करने का अनुरोध किया था पर इसकी कोई जांच नहीं की गई। यहां तक कि जिलाधिकारियों ने मेरे पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने यह मामला आपके साथ ही पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों के सामने रखा पर कोई असर नहीं हुआ।

महिलाओं की मांग सेना

(13) सलीट जिले के हरबिंगर कस्बे में निर्दोष हिन्दुओं, विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों पर हुए अत्याचार का वर्णन करना यहां जरूरी हो जाता है। इस इलाके के निर्दोष पुरूषों और महिलाओं को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। कुछ महिलाओं ने पुलिस और स्थानीय मुस्लिमों द्वारा उनके घरों पर बोले गए धावों और लूटे गए सामान की जानकारी दी। इसके बाद इस इलाके में सेना की चौकियां स्थापित कर दी गईं सेना ने न केवल लोगों को दबाया बल्कि हिन्दू घरों से जबरन सामान भी उठा ले गए। यही नहीं हिन्दुओं पर उनकी महिलाओं को रात में सैनिक शिविरों में जवानों की भूख मिटाने के लिए भेजने पर दबाव भी बनाया। मैंने यह मसला भी आपकी जानकारी में रखा था। आपने इस मामले में मुझे रिपोर्ट देने का भरोसा भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कोई रिपोर्ट आ नहीं सकी।

(14) इसके बाद राजशाही जिले के नचोले क्षेत्र में एक और घटना हुई। जहां संदिग्ध कम्युनिस्टों को दबाने के नाम पर न केवल पुलिस बल्कि स्थानीय मुस्लिमों ने आपसी मिलीभगत से हिन्दुओं को दबाना शुरू कर दिया और उनकी संपत्ति लूट ली। इस घटना के बाद संथाल यह इलाका छोड़कर पश्चिम बंगाल की ओर चले गए। उन्होंने स्थानीय मुस्लिमों और पुलिस के इस जुल्म की कहानी बढ़ा-चढ़ा कर पेश की।

(15) 20 दिसंबर, 1949 को खुलना जिले के मोलारहाट पुलिस थाना क्षेत्र के कालसीरा गांव में खूनी बर्बरता का एक और मामला सामने आया। उस रात हुआ यह कि पुलिस के चार सिपाहियों ने कलसीरा गांव में स्थानीय जयदेव ब्रह्मा के घर में दविश की। पुलिस को संदिग्ध कम्युनिस्टों की तलाश थी। पुलिस की निशानदेही पर आधा दर्जन पुरूष जिनमें कुछ संदिग्ध कम्युनिस्ट भी थे अपने घरों से भाग गए। पुलिस के सिपाही उनके घरों में घुस गए और जयदेव ब्रह्मा की पत्नी पर हमला कर दिया। जिसकी चीखें सुनकर उनके पति और कुछ साथी जो घर छोड़कर चले गए थे वापस अपने घर आए और देखा कि चार सिपाही केवल एक बंदूक के साथ वहां मौजूद हैं तो यह दृश्य देखकर शायद उन पुरूषों का हौसला बढ़ा और उन्होंने एक सशस्त्र सिपाही पर हमला कर दिया। जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब उस नौजवान

आदमी ने दूसरे सिपाही पर हमला किया तब तक दो सिपाही वहां से भाग गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे आसपास के लोग सहायता के लिए उनके पास आ गए। चूंकि यह हादसा सूर्यास्त से पहले अंधेरे में हुआ था इसलिए हमलावर लोगों के आने से पहले लाश के साथ वहां से गायब हो गए। अगले दिन दोपहर बाद खुलना के एस.पी. सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी के साथ मौका-ए-वारदात पर हाजिर हो गए। इस बीच हमलावर वहां से भाग कर दूर चले गए और समझदार पड़ोसी भी भाग गए। लेकिन ज्यादातर गांव वाले अपने घरों में ही रहे। चूंकि ये लोग पूरी तरह निर्दोष थे और उनको पता नहीं था कि इस हादसे का असर क्या होगा, पड़ोसी मुस्लिम गांव के लोगों ने उस गांव के निर्दोष लोगों पर हमला कर दिया और उनकी संपत्ति लेकर लूटपाट करने लगे। इस हादसे में कई लोग मारे गए और कई महिलाओं और पुरूषों को जबरन मुस्लिम बना दिया गया। उनके घरों की मूर्तियां तोड़ दी गई और पूजा स्थलों को अपवित्र कर नष्ट कर दिया गया। कई महिलाओं के साथ पुलिस और सेना के जवानों के साथ ही स्थानीय मुस्लिमों ने बलात्कार भी किया। परिणामस्वरूप न केवल आधे कि.मी. के क्षेत्रफल में फैले बड़ी आबादी वाले कलसीरा गांव बल्कि आसपास के कई नमो शूद्र गांव में भी नर्क जैसी स्थिति बन गई। कलसीरा गांव को स्थानीय लोगों ने कभी भी संदिग्ध कम्युनिस्टों के गढ़ के रूप में नहीं देखा था। फिर भी संदिग्ध कम्युनिस्टों की तलाश में उस दिन पुलिस ने पूरे गांव में धावा बोल दिया जिसके चलते बड़ी तेजी में लोग घर छोड़कर चले गए।

(16) मैंने 28 फरवरी, 1950 को कलसीरा और आसपास के एक दो गांव का दौरा किया। खुलना के एसपी और मुस्लिम लीग के कुछ प्रमुख जिला पदाधिकारी मेरे साथ थे। जब मैं कलसीरा गांव पहुंचा तब मैंने देखा कि पूरा इलाका तहस-नहस होकर खंडहर में बदल चुका है। एसपी की मौजूदगी में मुझे बताया गया कि उस गांव में लगभग 350 घर थे जिनमें से केवल तीन घरों को छोड़कर सभी घर बर्बाद कर दिए गए। नमो शूद्रों की नावें और दूसरा सामान लूट लिया गया। मैंने इन तथ्यों की जानकारी बंगाल के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस के आईजी और आपको भी दी।

(17) इस संबंध में यह उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की प्रेस में इस घटना का समाचार छपने से वहां के हिन्दुओं में असंतोष पैदा हुआ। कलसीरा के पीड़ित जिनमें पुरूष और महिलाएं दोनों ही शामिल हैं, बेघर हो गए। ये और दूसरे परेशान लोगों ने कोलकाता आकर अपनी आपबीती लोगों को सुनाई। जिसकी वजह से जनवरी के अंत में पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगे हुए।

फरवरी दंगे के कारण

(18) यहां उल्लेखनीय है कि कलसीरा हादसे की प्रतिक्रिया में पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगों की जो छिटपुट घटनाएं हुईं उनको पूर्वी बंगाल की प्रेस ने बढ़ा चढ़ा कर छापा। 1950 की फरवरी के दूसरे सप्ताह जब पूर्वी बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तब कांग्रेस के सदस्यों ने कलसीरा और नचोले गांव में हुई घटनाओं को लेकर काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की थी। कांग्रेस की यह मांग नामंजूर कर दी गई। इससे नाराज होकर कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा के हिन्दू सदस्यों की इस कार्रवाई ने न केवल मंत्रियों को नाराज कर दिया बल्कि राज्य के अधिकारियों और मुस्लिम नेताओं को भी नाराज कर दिया। शायद 1950 की फरवरी में ढाका और पूर्वी बंगाल में हुए दंगों का यह एक बड़ा कारण था।

(19) प्रसंगवश महत्वपूर्ण यह भी है कि 10 फरवरी, 1950 को सुबह 10 बजे एक महिला के शरीर पर लाल रंग पोत कर इस तरीके से पेश किया गया मानो कोलकाता के दंगों में उसके स्तन काट लिए गए हों और उस महिला को ढाका स्थित पूर्वी बंगाल सचिवालय के चारों ओर घुमाया गया। तुरंत ही सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया और जुलूस की शक्ल में बाहर आकर हिन्दुओं के विरोध में नारे लगाने लगे। यह जुलूस इतना लम्बा हो गया था कि थोड़े ही देर में एक मील के दायरे में फैल गया। दोपहर 12 बजे यह जुलूस एक मीटिंग की शक्ल में विक्टोरिया पार्क जाकर रूका जहां हिन्दुओं के खिलाफ उत्तेजक भाषण दिए गए। ऐसे भाषण देने वालों में स्थानीय नेताओं के साथ ही सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। इस पूरे पहलू का मजेदार पहलू यह है कि जब सचिवालय के कर्मचारी प्रदर्शन की शक्ल में बाहर जा रहे थे तब पूर्वी बंगाल के मुख्य सचिव सचिवालय भवन के अंदर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के साथ दोनों बंगालों में उपजे उपद्रवों की आग को ठंडा करने के लिए आपस में विचार-विमर्श कर रहे थे।

अधिकारियों ने लूटेरों की सहायता की

(20) दोपहर 1 बजे के आसपास पूरे शहर में एक साथ उपद्रव शुरू हो गए। जहां कहीं भी हिन्दुओं की दुकानें और घर दिखाई दिए लूट लिए गए और हिन्दुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। पूरे शहर में यह सिलसिला बड़ी तेजी से फैल गया। मुझे एक मुस्लिम तक ने यह बताया कि मारधाड़ और लूटपाट की ये घटनाएं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में भी चलती रही। हिन्दुओं की जेवरात की दुकानें इन्हीं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में लूटी गईं। पुलिस ने उनको रोकने के कोई प्रयास नहीं किए। उल्टे उन्होंने

सलाह मशविरा देकर लूटेरों की और मदद भी की। दुर्भाग्य से मैं उसी दिन पांच बजे शाम को ढाका पहुंचा। मेरे लिए यह सबकुछ हैरत अंगेज था।

दंगों की पृष्ठभूमि

(21) मेरी नजर में ढाका दंगों के पांच प्रमुख कारण इस प्रकार हैं (1) विधानसभा में हिन्दू विधायकों द्वारा उनके काम रोको प्रस्ताव की मांग न मानने के विरोध में सदन से बहिष्कार करने की एवज में हिन्दुओं को यह संकेत देते हुए दंडित करने की उनके प्रतिनिधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने कलसीरा और नचोले गांवों की घटनाओं को लेकर सदन नहीं चलने दिया। (2) पार्लियामेंट्री पार्टी में सोहरावर्दी और नाजीमुद्दीन गुटों के बीच मनमुटाव का प्रचार (3) पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों के पुनर्मिलन की संभावना के समाचार को बढ़ावा देने के ख्याल से ही पूर्वी बंगाल की सरकार और मुस्लिम लीग के नेताओं में खलबली मच गई थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिन्दू और मुस्लिम दोनों तबकों के नेताओं ने दोनों बंगाल के मिलन की इच्छा जाहिर की थी। पर पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग इसके खिलाफ थे और वे ऐसे किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे।

पूर्वी बंगाल के नेताओं को ऐसा लगने लगा था कि उनके राज्य में बड़े पैमाने पर हुए सांप्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों पर हमला हो सकता है जहां मुस्लिम मारे जाएंगे। इस बात का अंदेशा था कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में ऐसे दंगे बंगाल की एकता में बाधक बन सकते हैं। लिहाजा दंगे करवाकर बंगाल की एकता के प्रस्ताव को रोका गया। (4) पूर्वी बंगाल में बंगाली मुस्लिम और गैर बंगाली मुस्लिमों के बीच की खाई दिन-प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। यह खाई तभी रोकी जा सकती थी जब पूर्वी बंगाल के हिन्दू और मुस्लिमों को आपस में लड़ा दिया जाए। इसी के साथ भाषा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ था। (5) मुद्रा का अवमूल्यन होने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की गति थम गई थी जिसका असर पूर्वी बंगाल की आर्थिक स्थिति पर बुरी तरह से पड़ रहा था। शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों के मुस्लिम लीगी सदस्य और सरकारी अधिकारी बदतर होती जा रही आर्थिक स्थितियों से जनता को धोखे में रखना चाहते थे और जनता का ध्यान बंटाना चाहते थे। यह काम हिन्दुओं के खिलाफ जिहादी भावनाएं भड़काकर ही किया जा सकता था।

चौकाने वाले तथ्य : लगभग दस हजार लोग मारे गए

(22) ढाका में अपने नौ दिनों के प्रवास के दौरान मैंने शहर और शहर के आसपास कई दंगा प्रभावित

उपनगरों का दौरा किया। मैंने तेजपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले मीरपुर का दौरा भी किया। ढाका और नारायणगंज के बीच रेलवे लाइन में मारे गए सैंकड़ों निर्दोष हिन्दुओं की घटना मेरे लिए गंभीर झटका थी। ढाका दंगों के दूसरे दिन मैं पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिला और उनसे अनुरोध किया कि वे जिलाधिकारियों को तुरंत यह निर्देश दें कि जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में दंगों को काबू में रखने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। 20 फरवरी, 1950 को मैं बरीसाल कस्बे में गया और मुझे वहां की घटनाएं देखकर आश्चर्य हुआ। इस जिले में बड़ी मात्रा में हिन्दुओं का कत्ल हो गया था। मैंने जिले के कमोबेश सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य और दुख हुआ कि जिला मुख्यालय से छह मील की परिधि के भीतर बसे काशीपुर, मधाबपाशा और लालकुटिया जैसे स्थानों में मुस्लिम उपद्रवियों ने आफत मचा रखी थी। जबकि ये सभी इलाके जिला मुख्यालय से मोटर और सड़क मार्ग से जुड़े हैं। मधाबपाशा जमींदार के घर में 200 लोग मारे गए और 40 जख्मी हो गए। मुलादी नामक स्थान में एक जीवंत नर्क के दर्शन हुए। अकेले मौलादी बांदर इलाके में मारे गए लोगों की संख्या 300 से ज्यादा ही थी। यह जानकारी इलाके के मुस्लिमों ने ही पुलिस को दी थी जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे। मैंने मुलादी गांव का भी दौरा किया जहां मैंने कई स्थानों में नर कंकालों के ढेर देखे। मैंने देखा कि चील और कौए उन लाशों पर टूट पड़े थे। नदी के किनारे यह उनका भोजन था। मुझे यह सूचना मिली कि गांव में सभी पुरूषों के मारे जाने के बाद वहां की सभी जवान लड़कियां स्थानीय सरगनाओं को उनके ऐशोआराम के लिए बांट दी गई। राजपुर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले काईबार ताखली जैसे स्थान में 63 हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस थाने से एक पत्थर की दूरी पर स्थित इस गांव में हिन्दुओं के घर लूटे गए और इन घरों में रहने वाले लोगों को जिंदा जला दिया गया। बाबूगंज बाजार की सभी हिन्दू दुकानों को लूटकर जला दिया गया और बड़े पैमाने पर हिन्दुओं का कत्लेआम हुआ। प्राप्त विस्तृत जानकारी के मुताबिक अकेले बरीसाल जिले में मारे गए लोगों की संख्या ढ़ाई हजार से ऊपर है। ढाका और पूरे पूर्वी बंगाल में दंगों से मारे गए लोगों की संख्या 10 हजार से ऊपर का आंकड़ा पार कर गई। मैं इस दु:ख से उबर नहीं सका। उपद्रवों में मारे गए लोगों के परिजनों की आवाज और आंखों से निकलते आंसूओं से मेरा दिल भी पसीज गया। मैंने केवल अपने आपसे पूछा, "इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आने का क्या फायदा हुआ?"

दिल्ली समझौते को लागू करने की कोई चाहत नहीं

(23) मार्च के दूसरे पखवाड़े में पूर्वी बंगाल से बड़े पैमाने पर हिन्दुओं का पलायन हुआ। ऐसा लगने

लगा कि कुछ ही समय में सारे हिन्दू भारत चले जाएंगे। इसको लेकर भारत में आवाजें उठने लगीं। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। यह निश्चित ही एक राष्ट्रीय आपदा बनने वाली थी।

इस स्थिति को काबू में लाया जा सकता था। अगर 8 अप्रैल, 1950 को हुए दिल्ली समझौते पर अमल करते हुए कोई कार्रवाई की गई होती तो स्थिति को काबू में रख कर हिन्दुओं की मन:स्थिति को काबू में रखा जा सकता था। इसी दौरान मैंने पूरे पूर्वी बंगाल का व्यापक दौरा किया इस दौरे में राज्य के ढाका, बारीसाल, फरीदपुर, खुलना और जैसौर समेत कई जिलों में गया। मैंने दर्जनों सभाओं को संबोधित किया और हिन्दुओं से कहा कि वे इस आपदा में धैर्य न छोड़ें और अपने पूर्वजों की संपत्ति और घरों को छोड़ने का विचार अपने दिमाग से निकाल दें। मुझे उम्मीद थी कि पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग के नेता दिल्ली समझौते की भावना को सही परिप्रेक्ष्य में लागू करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया मुझे यह लगने लगा कि न तो पूर्वी बंगाल सरकार और ना ही मुस्लिम लीग के नेता दिल्ली समझौते को सही परिप्रेक्ष्य में लागू करना चाहते हैं। पूर्वी बंगाल सरकार ने न तो दिल्ली समझौते को लागू करने के लिए समुचित मशीनरी का गठन किया था और न ही वह इसके लिए प्रभावशाली कदम उठाने को तैयार थी। इसके चलते ऐसे कई हिन्दू जो अपने मूल गांव की ओर वापस आ गए थे एक बार फिर दिल्ली के लिए चलने की तैयारी करने लगे। क्योंकि दिल्ली समझौते में अपने घर वापस आने वाले विस्थापितों को उनका मूल घर और जमीन वापस देने की जो व्यवस्था थी उसे यहां लागू नहीं किया गया क्योंकि इन घरों और जमीनों पर जिन मुस्लिमों ने कब्जे कर लिए थे उन्होंने इसे उसके मूल स्वामी को वापस नहीं किया।

मौलाना अकरम खान की उत्तेजना

(24) लीग के नेताओं की नीयत को लेकर मेरा शक तब ठीक साबित हुआ जब मैंने मासिक पत्र 'महाम्मदि' के बैशाख अंक में लीग के प्रांतीय अध्यक्ष मौलाना अकरम खान का एक बयान पढ़ा। उनका यह बयान पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री डॉ. ए.एम. मलिक के ढाका रेडियो स्टेशन से प्रसारित पहले रेडियो भाषण की प्रतिक्रिया में दिया गया था। डॉ. मलिक ने अपने रेडियो भाषण में यह कहा था कि हजरत मोहम्मद ने भी अरबिया में यहूदियों को धार्मिक आजादी दी थी, इस पर मौलाना अकरम खान का कहना था, "यह अच्छा होता कि डॉ. मलिक ने अपने भाषण में अरबिया के यहूदियों का हवाला न दिया होता। यह सही है कि अरबिया में हजरत मोहम्मद ने यहूदियों को धार्मिक आजादी दी थी; और यह इतिहास का पहला अध्याय था। इतिहास के अंतिम अध्याय में पैगम्बर मोहम्मद ने जो निर्देश दिए हैं वे इस प्रकार हैं, 'सारे यहूदियों को अरब से खदेड़ दो'। मुझे यह उम्मीद थी कि मौलाना अकरम खान

जैसे उच्च शिखर पर तैनात सामाजिक और आध्यात्मिक छवि के मुस्लिम नेता ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन संपादकीय के माध्यम से उन्होंने जो कुछ कहा उससे मुझे ऐसा लगने लगा कि नुरूल अमीन मंत्रिमंडल इतना गैरजिम्मेदार कैसे हो सकता है? पर मेरी उम्मीदों को तब तगड़ा झटका लगा जब नुरूल अमीन ने डी.एन. बरारी जैसे व्यक्ति को दिल्ली समझौते को लागू करने के अनुपालन में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में अपने मंत्रिमंडल में ले लिया।

नुरूल अमीन सरकार की लापरवाही

(25) अपने एक सार्वजनिक बयान में, मैंने डीएन बरारी को अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के नाते मंत्री बनाए जाने के मामले पर अपनी राय जाहिर करते हुए यह कहा था कि इससे अल्पसंख्यकों को भरोसे में नहीं लिया जा सकेगा बल्कि इसके विपरीत इससे उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा या पूरी तरह से कुहासा फैल जाएगा। अपने बयान में मैने यह भी खुलासा किया था कि नुरूल अमीन सरकार न केवल दिल्ली समझौते की भावना को खत्म कर देना चाहती है बल्कि वह पूरी तरह समझौते का ही खात्मा कर देना चाहती है। मैंने एक बार फिर यह दोहराया कि बरारी अपने अलावा किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे कांग्रेस के टिकट पर बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे जिसमें कांग्रेस संगठन और पैसे की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार का मुकाबला किया था। चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया और फेडरेशन में शामिल हो गए और जब वे मंत्री बना दिए गए तो उन्होंने फेडरेशन से भी किनारा कर लिया। मुझे पता है कि पूर्वी बंगाल के हिन्दू मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जिस चरित्र और बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति डीएन बरारी हैं, वे दिल्ली समझौते की शर्तों के अनुरूप मंत्री पद हासिल करने की योग्यता नहीं रखते।

(26) मैंने नुरूल अमीन के मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तीन नाम सुझाए थे। मैंने जो पहला नाम सुझाया था वह ढाका हाईकोर्ट के एक एमए एलएलबी एडवोकेट का था। वे बंगाल की पहली फजलुल हक सरकार में चार वर्ष तक मंत्री रह चुके थे। वे कोयला खनन बोर्ड कोलकाता के छह साल तक चेयरमैन भी थे। वे शिड्युल्ड कास्ट फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। नुरूल अमीन मंत्रिमंडल में नुमाइंदगी के लिए मैंने दूसरा नाम एक ऐसे व्यक्ति का सुझाया था जो बीए एलएलबी होने के साथ ही सात साल तक विधान परिषद का सदस्य रह चुके थे। मैं जानना चाहूंगा ऐसे कौन से कारण थे कि इन दो सज्जनों में से किसी एक को नुरूल अमीन सरकार में मंत्री क्यों नहीं बनाया जा सका? इसका मैंने कड़े शब्दों में विरोध भी किया। मैं बिना किसी भय और लाग-लपेट के यह कह सकता हूं कि नुरूल अमीन ने

ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि पूर्वी बंगाल की यह सरकार किसी भी कीमत पर दिल्ली समझौते को लागू नहीं होने देना चाहती थी इसलिए डीएन बरारी जैसे व्यक्ति की मंत्री पद पर नियुक्ति करके ऐसी स्थितियां पैदा की गईं कि पूर्वी बंगाल में तमाम हिन्दू अपने जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रह जाएं।

सरकार की हिन्दुओं को खदेड़ने की योजना

(27) इस संबंध में मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि पूर्वी बंगाल सरकार नियोजित तरीके से इस नीति पर काम कर रही है कि हिन्दुओं को इस राज्य से बाहर कैसे किया जाए? इस संबंध में मेरी आपके साथ एक से अधिक बार हुई चर्चा के दौरान मैंने अपने विचारों से आपको अवगत करा दिया था। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि पश्चिमी पाकिस्तान में इसी नीति के चलते हिन्दुओं को वहां से खदेड़ने के अपने प्रयासों में सफलता हासिल कर ली है और अब बारी पूर्वी पाकिस्तान की है। मेरे न चाहने के बावजूद डीएन बरारी को पूर्वी बंगाल सरकार के एक मंत्री के रूप में शामिल करना यह प्रमाणित करता है कि यह सरकार पूरी तरीके से एक इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। पाकिस्तान में हिन्दुओं को उनकी सुरक्षा के बारे में कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया है। अब वे यह चाहते हैं कि हिन्दुओं के बौद्धिक तबके से पूरी तरह आंख फेर ली जाए ताकि पाकिस्तान के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर उनका कोई प्रभाव न रह सके।

मतदाताओं के भविष्य के सवाल पर चुप्पी क्यों?

(28) मैं अभी तक यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मतदाताओं के सवाल को लेकर अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं किया जा सका? अल्पसंख्यकों की उपसमिति को गठित हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में उसकी तीन बैठकें हुईं। पिछले साल दिसंबर में हुई कमेटी की बैठक में यह मामला उठा था कि मतदाताओं की संयुक्त या अलग सूची बनाई जाए। इस मीटिंग में पाकिस्तान के सभी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखते हुए यह प्रस्ताव रखा था कि मतदाताओं की संयुक्त सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें पिछड़े तबके के अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था हो। अनुसूचित जाति की तरफ से हमने यह सोचा था कि अगस्त में बुलाई गई बैठक में फिर से इस मामले पर विचार किया जाएगा पर बिना किसी चर्चा के वह बैठक न जाने क्यों अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। यह समझने में अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है कि पाकिस्तान के शासक ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर पिंड छुड़ाने के तरीके क्यों अपनाने लगे हैं।

हिन्दुओं का अंधकारमय भविष्य

(29) दिल्ली समझौते के संदर्भ में अब बात पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के वर्तमान और भविष्य की, इस बाबत मैं यह कहना चाहूंगा कि मौजूदा स्थिति न केवल असंतोषजनक हैं बल्कि पूरी तरह से निराशाजनक भी और हिन्दुओं का पूरा भविष्य अंधकारमय है। पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनका विश्वास धीरे-धीरे टूट रहा है जिसे वापस लाना मुश्किल काम है। पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग ने दिल्ली समझौते का इस्तेमाल केवल कागज के एक टुकड़े के रूप में किया है।

जिस तरह बड़ी तादाद में हिन्दू विस्थापित जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जाति के कास्तकार हैं, इधर-उधर से पूर्वी बंगाल वापस आ रहे हैं उससे यह संकेत नहीं निकाले जा सकते कि यहां हिन्दुओं का विश्वास लौट आया है। इससे यही संकेत मिलते हैं कि भारत के पश्चिमी बंगाल या किसी और स्थान में उनका पुनर्वास संभव नहीं था। विस्थापितों की तरह जिन्दगी उन्हें दर-बदर भटकने को मजबूर कर रही है। इसके साथ ही इनमें से ज्यादातर लोग अपनी चल संपत्ति वापस पाने तथा अचल संपत्तियों का निस्तारण करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यह ठीक है कि पूर्वी बंगाल में हाल-फिलहाल कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। जिसके चलते दिल्ली समझौते पर कोई आंच आए। पर ऐसा तब भी हो सकता था कि अगर दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता हुआ ही न होता।

(30) यह स्वीकार करना चाहिए कि दिल्ली समझौता अपने आप में कोई अंतिम अध्याय नहीं है। सोचा यह गया था कि भारत-पाकिस्तान के बीच अन्य मामलों के साथ ही इस तरह के मुद्दों पर भी मतभेद हो सकते हैं। इसलिए तब दोनों देशों के बीच ऐसे किसी समझौते की जरूरत महसूस की गई थी। पर समझौते के छह महीने बाद की अवधि में ऐसा कोई एक भी मसला आपसी सहमति से हल भी नहीं हो सका। इसके विपरीत सांप्रदायिक और भारत विरोधी प्रोपेगंडा करने में पाकिस्तान लगा ही रहा है, घर में भी और बाहर भी। पाकिस्तान का यह नारा लगातार जारी रहा। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग द्वारा कश्मीर दिवस मनाया जाना पाकिस्तान की इसी भारत विरोधी और सांप्रदायिक नीति का ही सबूत है। पाकिस्तान के अधिकृत वाले पंजाब प्रांत के राज्यपाल का हाल में दिया गया भाषण इसी नीति का परिचायक है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भारत के मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को एक मजबूत सेना की जरूरत है। मुस्लिम लीग ने भारत के प्रति पाकिस्तान की वास्तविक नीतियों की अनदेखी की है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ेगा ही।

आज क्या हो रहा है पूर्वी बंगाल में?

(31) आज पूर्वी बंगाल की हालत क्या है? देश के विभाजन के बाद करीब 50 लाख हिन्दू देश छोड़कर चले गए हैं। पिछली फरवरी में हुए पूर्वी बंगाल के दंगों के अलावा बड़े पैमाने पर हो रहे हिन्दुओं के इस पलायन के और भी कई कारण हैं। मुस्लिमों द्वारा हिन्दू वकीलों, मेडिकल प्रैक्टिसनरों, दुकानदारों और व्यापारियों का बहिष्कार करने के कारण हिन्दुओं को रोजगार की तलाश में पश्चिम बंगाल की तरफ जाने को विवश होना पड़ा। हिन्दू घरों का बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए कब्जे में ले लेना उनके घरों और जमीन के किराए का भुगतान न करना भी इसके कारण हैं। इसके साथ ही अंसार जिनके खिलाफ मुझे कई तरह की शिकायतें मिलीं वे भी हिन्दुओं की सुरक्षा को खतरा बन गए।

शैक्षिक अधिकारियों द्वारा उनकी शिक्षा में हस्तक्षेप करने के मामलों और शिक्षा के इस्लामीकरण ने हिन्दुओं को भयभीत कर दिया। इसके चलते सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की पुरानी रिवायतें बदल गईं। ऐसे हिन्दुओं ने पूर्वी बंगाल छोड़ दिया। परिणामस्वरूप ज्यादातर शैक्षिक संस्थाओं में खालीपन आ गया। इस खालीपन की एक वजह शिक्षा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए फरमान भी हैं। ऐसे ही एक फरमान में शैक्षिक संस्थानों में स्कूली पढ़ाई शुरू होने से पहले पवित्र कुरान की आयतें पढ़ने को अनिवार्य बना दिया गया, ऐसे ही एक अन्य आदेश में स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से यह कहा गया कि वे अपनी स्कूलों के भवन खंडों के नाम 12 विशिष्ट मुस्लिमों के नाम पर रखें। मसलन जिन्ना, इकबाल, लियाकत अली, नाजीमुद्दीन वगैरह वगैरह। अभी हाल ही में ढाका में संपन्न एक शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रपति ने यह रहस्योदघाटन किया था कि पूर्वी बंगाल में संचालित 1500 हाई इंगलिस स्कूलों में से केवल 500 ही काम कर रहे हैं।

मेडिकल प्रैक्टिसनरों के देश छोड़कर चले जाने से वहां मरीजों के इलाज की स्थितियां भी चरमरा गई हैं। यही नहीं कमोबेश सभी पंडित-पुरोहितों के विस्थापन से हिन्दू घरों में धार्मिक कर्मकांड कराने का संकट पैदा हो गया है। पूजा के महत्वपूर्ण स्थान वीरान हो गए हैं। परिणामस्वरूप पूर्वी बंगाल में शादी विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक कराए जाने वाले तमाम कामकाजों के साथ ही पूजा करने का भी अकाल पैदा हो गया है। वे शिल्पकार जो हिन्दू देवियों की मूर्तियां बनाया करते थे वे भी देश छोड़कर चले गए हैं। मुस्लिमों ने उन केंद्रीय परिषदों के अध्यक्ष पदों पर कब्जा कर लिया है जिन पर कभी हिन्दुओं का हक हुआ करता था। पुलिस और सर्किल अफ्सरों की मदद से मुस्लिमों ने सभी संगठनों को अपने कब्जे में कर लिया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक और सचिव भी बदल दिए गए हैं। कुछ हिन्दू सरकारी कर्मचारियों की स्थिति

दयनीय बना दी गई है। उनमें से ज्यदातर के ऊपर या तो उनके जूनियर मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है या उन्हें बिना किसी कारण के बर्खास्त कर दिया गया है। अभी हाल ही में चटगांव के एक हिन्दू पब्लिक प्रॉसीक्यूटर को जबरन सेवामुक्त कर दिया गया है। श्रीजुक्ता नेली सेन गुप्ता ने अपने एक बयान में यह खुलासा किया था कि उनको बिना किसी कारण इस पद से हटा दिया गया जबकि उनके खिलाफ किसी तरह का मुस्लिम विरोधी पक्ष रखने का कोई आरोप नहीं है।

असंवैधानिक घोषित कर दिए गए हिन्दू

(32) चोरी डकैती और हत्या के मामलों में कमीशन का सिलसिला पहले की तरह आज भी बदस्तूर जारी है। थाना प्रभारी हिन्दुओं की शिकायतों को आधा ही दर्ज करते हैं। सरकारी आंकड़ों की मानें तो मौजूदा समय में पूर्वी बंगाल में 12 से 30 वर्ष की उम्र के बीच की हिन्दू लड़कियों के अपहरण और बलात्कार के मामलों में काफी गिरावट आ गई है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि पूर्वी बंगाल में इस आयु वर्ग की कोई लड़की बची ही नहीं रह गई है। मुस्लिम गुंडों ने ग्रामीण इलाकों में भी इन लड़कियों को नहीं छोड़ा। मुझे मुस्लिमों द्वारा अनुसूचित जाति की लड़कियों के साथ किए गए बलात्कार के मामलों की जानकारी मिली है।

बाजार में मुस्लिम व्यापारी जूट और कृषि के दूसरे उत्पादों का भूगतान ही नहीं करते। वास्तव में पाकिस्तान में कानून और न्याय का कोई भी जरिया नहीं है जहां तक हिन्दुओं की सुरक्षा का सवाल हो।

पश्चिमी पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण

(33) पूर्वी पाकिस्तान की बात छोड़िये अब मैं आपसे पश्चिमी पाकिस्तान विशेषकर सिंध की बात करता हूं। पश्चिमी पंजाब में विभाजन के बाद अनुसूचित जाति के लगभग एक लाख लोग थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना दिया गया। मुस्लिमों द्वारा अपहृत कर ली गईं एक दर्जन से अधिक अनुसूचित जाति की लड़कियों में से केवल चार की जानकारी मिल पाई। अधिकारियों से कई बार अनुरोध करने के बाद इतनी सी जानकारी मिल सकी। अपहृत लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गठित सरकारी विभाग के प्रभारी ने हाल ही में जो जवाब दिया है उसमें यह कहा गया था कि 'उनका काम हिन्दू लड़कियों के बारे में पता लगाना है, अछूत (अनुसूचित जाति) हिन्दू नहीं हैं।' कराची और सिंध में अभी भी बहुत कम तादाद में रहने वाले हिन्दुओं की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी में रहने वाले इन हिन्दुओं की हालत बहुत खराब है। मुझे कराची और सिंध के 363 हिन्दू मंदिरों और गुरुद्वारों की सूची मिली है जो अभी तक

मुस्लिमों के कब्जे में हैं। इनमें कई मंदिर मोचीखाने में बदल दिए गए हैं तो कईयों में कसाई घर चल रहे हैं तो कुछ होटलों में तब्दील हो गए हैं। किसी भी हिन्दू को एक भी मंदिर वापस नहीं मिला है।

उनकी स्वामित्व वाली तमाम जमीन जायदाद उनको बिना कोई नोटिस थमाए स्थानीय मुस्लिमों ने अपने कब्जे में कर ली है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी है कि कस्टोडियन ने 200-300 ऐसे हिन्दुओं की घोषणा की थी जिनको उनकी संपत्ति वापस नहीं मिल सकती थी पर अब तक भी उनमें से किसी को अपनी जायदाद का हक नहीं मिल सका है। कराची के पिंजरापोल का भी यही हाल है। उसके ट्रस्टियों को स्वामित्व वापस नहीं मिल सका है। कराची में मुझे अभागी, अपहृत हिन्दू लड़कियों के पिता और पतियों की ओर से एक ज्ञापन मिला था। इनमें ज्यादातर लड़कियां अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती हैं। मैंने इस बारे में राज्य की दूसरी अस्थायी सरकार को जानकारी दी जिस पर आजतक कोई अमल नहीं हो सका है। मेरे लिए महा दु:ख का विषय यह है कि मुझे यह सूचना मिली कि अनुसूचित जाति के ऐसे लोग जो अभी भी बड़ी मात्रा में सिंध में रह रहे हैं, का जबरन धर्मांतरण कराया गया है।

हिन्दुओं के लिए अभिशप्त पाकिस्तान

(34) जहां तक पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं को लेकर की जाने वाली बातों का सवाल है यह सब इसकी एक बानगी है। अगर मैं ऐसा न कहूं कि पाकिस्तान में सभी हिन्दू व्यावहारिक रूप से पूरी तरह अपने ही घरों में बेघर हो गए हैं तो मैं उनके साथ अन्याय करूंगा। उनकी इसके अलावा और कोई गलती नहीं है कि वे हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। मुस्लिम लीग के नेता जानबूझकर यह प्रचार कर रहे हैं और जो सही भी है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बनकर रहेगा। पाकिस्तान में इस्लाम को दुनिया की तमाम समस्याओं के एक सम्प्रभु और सर्वमान्य हल के रूप में देखा जा रहा है। पूंजीवाद और समाजवाद के नारों के बीच आप इस्लामिक समानता और भाईचारे की एक नई लोकतांत्रिक इबारत लिख रहे हैं। शायद यही इबारत लिखने के लिए शरिया मुस्लिमों को ही शासकों का दर्जा दिया जा रहा है और दूसरे अल्पसंख्यकों को इस कीमत पर नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री महोदय इस बारे में आपसे ज्यादा और कौन जानता है कि अल्पसंख्यकों को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक लम्बे संघर्ष और तमाम तरह की चिंताओं को पालने के बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भविष्य में पाकिस्तान हिन्दुओं के लिए रहने लायक नहीं रह जाएगा। धर्मांतरण और दबाए जाने की राजनीति के चलते उनके लिए वहां केवल अंधेरा ही अंधेरा बाकी रहेगा।

सवर्ण हिन्दू और राजनीतिक चेतना वाले अनुसूचित जाति के लोगों ने पूर्वी बंगाल छोड़ दिया है। इन

परिस्थितियों में जो भी हिन्दू पाकिस्तान में बचा रह जाएगा वह अभिशप्त होकर ही जी सकता है। मुझे भय है कि चरणबद्ध और योजनागत तरीके से ये हिन्दू भी इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे। हैरानी तब होती है जब आपके जैसा शिक्षित सभ्य और अनुभवी व्यक्ति भी मानवीय समानता और सहृदयता के सिद्धांतों को भूलकर ऐसी अमानवीय और अत्याचारी व्यवस्था का हिस्सा बनकर रह जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सभी हिन्दू अनुयायी तरह-तरह की धमकियों और लालच में आकर अपनी ही मातृभूमि में बेगाने बनकर रह जाएंगे। आज चाहे वे किसी भी तरह अपने आपको बचाकर रख सके हों पर कल उन्हें अहसास जरूर होगा। भविष्य में उन्हें यह लगने लगेगा कि उनके आर्थिक जीवन में उनको अपने लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। किसको पता भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है। जब मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार में मेरा बने रहना हिन्दुओं के लिए किसी भी रूप में सहायक नहीं हो पा रहा है तब मैं अपनी आत्मा की आवाज को कैसे दबा सकता हूं और कैसे मैं पाकिस्तान के हजारों हिन्दुओं के मन में यह भरोसा दिला सकता हूं कि आने वाले समय में उनके साथ न्याय होगा। यह एक मिथ्याधारणा है जिसे मैं अब और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकता। हिन्दुओं के बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि पाकिस्तान में अब उनके जीवन के सम्मान, संपत्ति और धर्म की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की सम्मानजनक स्थिति बची नहीं रह गई है। यह तो रही बात हिन्दुओं की।

मुसलमानों की स्थिति भी बेहतर नहीं

(35) उन मुसलमानों का क्या कहना जो लीगी शासकों के भ्रष्ट और अक्षम नौकरशाहों के घेरे से बाहर हैं। पाकिस्तान में सिविल लिवर्टी नाम की कोई चीज नहीं है। उदाहरण के रूप में एक साक्ष्य खान अब्दुल गफ्फार खान का दिया जा सकता है। उनके समान राष्ट्रभक्त मुसलमान इस दुनिया में सालों से नहीं पैदा हुआ है। उनके देशभक्त भाई डॉ. खान साहिब के अनेक अनुयायी जो पश्चिमोत्तर पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में आज भी बिना सुनवाई के पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। मिस्टर सोहरावर्दी जिनकी वजह से लीग को पश्चिम बंगाल में कई बार विजयश्री हासिल हुई वे आज व्यावहारिक रूप से पाकिस्तान के एक कैदी का ही जीवन जी रहे हैं जिन्हें आज भी कही जाने के लिए पाकिस्तानी शासकों को आदेश की जरूरत होती है। फजलुल हक जिसे बंगाल का एक प्यारा बुजुर्ग कहा जाता है जो कभी आज मसहूर हो चुके लाहौर प्रस्ताव के निर्माता माने जाते हैं। वे आज ढाका हाईकोर्ट की चहारदीवारी में न्याय के लिए एडियां रगड़ रहे हैं, और इस्लाम की तथाकथित योजना इतनी निर्दयी है कि अदालती कार्रवाई निपटने को ही नहीं आ रही है। पूर्वी बंगाल के मुस्लिमों के लिए सामान्य तौर पर जो कुछ भी कहा जाए वही कम

है और यही कड़वी सच्चाई भी है। उनसे लाहौर में एक आजाद राज्य का वायदा किया गया था। उनसे यह वायदा भी किया गया था कि अपने राज्य में वे सवायत्त और संप्रभु तरीके से स्वतंत्र राज्य की ईकाई का गठन कर सकते हैं। पर इसके बदले में उन्हें क्या मिला? आज पूर्वी बंगाल पश्चिमी पाकिस्तान की एक औपनिवेशिक कॉलोनी के रूप में बदल दिया गया है। जबकि उसकी आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर पाकिस्तान की और सभी ईकाईयों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो यह आबादी पूर्वी बंगाल की आबादी से कम ही होगी। पूर्वी बंगाल के मुस्लिमों ने अपने उत्साह में रोटी की मांग की थी और उनको बदले में मिला इस्लामिक राज्य और शरियत द्वारा दिया गया पत्थर।

मेरा अपना बुरा अनुभव

(36) पाकिस्तान के पूरे तामझाम और इसके निर्दयी और अमानवीय, अन्यायपूर्ण शासन की बातें जो दूसरे लोगों को परेशान कर रही हैं उनको अगर दूर करके रखें तो मेरे अपने अनुभव भी कुछ कम कड़वे और दुखद नहीं हैं। आपने प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता के रूप मे प्राप्त अपनी हैसियत का फायदा उठाते हुए मुझसे एक बयान देने को कहा था जो मैंने पिछले 8 सितंबर को जारी किया था। आप जानते हैं कि मैं अधकचरी और झूठी घटनाओं को लेकर बयान देना नहीं चाहता था। मेरे लिए यह संभव नहीं था कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूं जब तक मैं आपके आधीन एक मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। इसलिए मैंने न चाहते हुए भी वह बयान जारी किया। पर अब मैं झूठ के लबादे का यह बोझ ढोने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अब यह फैसला लिया है कि मैं आपके एक मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दूं, जो मैं यहां आपके हाथों में सौंप रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अविलम्ब स्वीकार कर लेंगे। आप अपने इस्लामिक राज्य के उद्देश्यों के अनुरूप इस त्यागपत्र का जैसा भी और जैसे भी प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हैं।

8 अक्टूबर, 1950
आपका ही
जे.एन. मंडल

लेखक परिचय

डॉ शारदेन्दु मुखर्जी दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे इससे पहले लंदन विश्वविद्यालय के बर्कबेक कॉलेज के इतिहास विभाग में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान विशेषज्ञ (रिसर्च स्कॉलर) और 'हल' विश्वविद्यालय में भारतीय विषयों के अनुसंधान केन्द्र में राजनीति विभाग में अध्यापक रह चुके हैं। साथ ही डॉ. मुखर्जी कोलकाता स्थित भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अनुसंधान हेतु केन्द्र के मानद अध्यक्ष तथा आईसीएसएसआर के सदस्य भी रह चुके हैं।

प्रतिष्ठान के प्रकाशन

1.	Terrorism and Indian Media	80.00
2.	आतंकवाद और भारतीय मीडिया	80.00
3.	Deceptive Equality (Deconstructing the Equal Opportunity Commission)	50.00
4.	भ्रामक समानता (समान अवसर आयोग की समीक्षा)	50.00
5.	Census 2011: Blinkered Vision, Fragmented Ideas	50.00
6.	जनगणना 2011: बाधित दृष्टि विखंडित विचार	50.00
7.	न्यू मीडियाः चुनौतियाँ और संभावनाएँ	50.00
8.	The Issue of Enemy Property and India's National Interest	50.00
9.	राष्ट्रीयता का यक्ष प्रश्न? (शत्रु संपत्ति पर सांप्रदायिक राजनीति)	35.00
10.	अजीज बर्नी की पुस्तक "आरएसएस की साजिश–26/11 (सच या झूठ का पुलिंदा?)	50.00
11.	षड़यंत्र सिद्धांत के खलनायक बेनकाब	50.00
12.	चीनी विस्तारवाद (भारतीय सीमा का अतिक्रमण)	50.00
13.	लोकतंत्र पर प्रहार (नागरिक अधिकारों का हनन)	50.00
14.	सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक (लोकतंत्र, संघवाद, पंथनिरपेक्षता पर प्रहार)	30.00
15.	Hole in the Bucket (Examining Prevention of Communal & Targeted Violence Bill-2011)	30.00
16.	NAC's Hindu Apartheid Law (Prevention of Communal & Targeted Violence Bill-2011)	25.00
17.	The Dragon Tale (Dubious Design, Dangerous Liaison)	60.00
18.	राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाम राष्ट्रीय एकता परिषद (सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक पर टकराव)	20.00
19.	Cross Purposes	80.00
20.	भ्रामक उद्देश्य	80.00
21.	समकालीन समाज में बुद्धिजीवी	30.00
22.	Intellectuals in Contemporary Society	30.00
23.	Assam: Bending Over Backwards (Trespassing Causes Demographic Damage)	30.00
24.	Judiciary, Gender & Uniform Civil Code	50.00
25.	Predicament of Minorities in Pakistan	100.00
26.	पाकिस्तान में अल्पसंख्यक!	80.00
27.	चीन की चुनौती	50.00

मेरा यह दृढ़ मत रहा कि पाकिस्तान का निर्माण सांप्रदायिक समस्या का समाधान कभी नहीं कर पाएगा। उल्टे, वह सांप्रदायिक घृणा और विद्वेष को और तीव्र ही करेगा। साथ ही, मेरा यह भी मानना था कि इससे पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों को राहत भी नहीं मिलेगा। देश के विभाजन का अवश्यम्भावी परिणाम होगा। दोनों ही राज्यों की मेहनतकश जनता की गरीबी, निरक्षरता और शोचनीय दशा स्थायी नहीं तो दीर्घकाल तक बनी रहेगी। मुझे यह भी आशंका थी कि पाकिस्तान दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के सबसे पिछड़े और अविकसित देशों में से एक बनकर रह जाएगा।

जे.एन. मण्डल द्वारा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे गए पत्र का अंश।

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास,
नई दिल्ली - 110016
दूरभाष : 011-26524018
फैक्स : 011-46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org

मूल्य : 80 रुपये मात्र
ISBN: 978-81-925223-3-3